आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी सारसंग्रह

भारत का परिप्रेक्ष्य

विधायकों हेतु एक प्रवेशिका

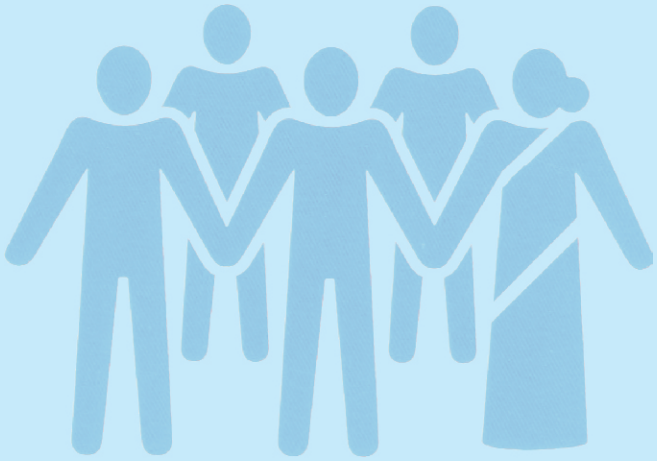

सत्यमेव जयते
Government of India

भारत सरकार–यू.एन.डी.पी. आपदा जोखिम
प्रबंधन परियोजना
2002 - 2007

UNDP India

vkink tkf[ke icU/ku lcU/kh lkjlaxg

Hkkjr dk ifjis{;

fo/kk;dk gsrq ,d iqfLrdk

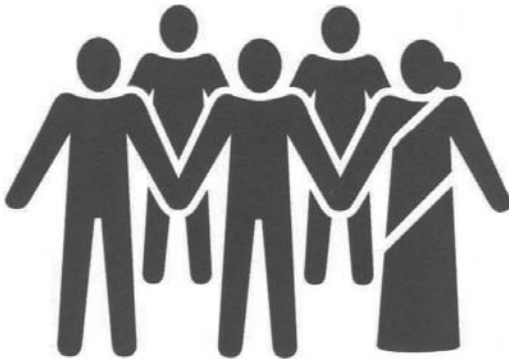

सत्यमेव जयते
Government of India

Hkkjr ljdkj&;w-,u-Mh-ih- vkink tkf[ke
icU/ku ifj;kstuk
2002-2007

UNDP
India

fo"k;oLrq

vkink tkf[ke izca/ku lca/kh vo/kkj.kk,a

- जोखिम क्या है? इसका वर्गीकरण किस तरह किया जाता है?
- आपदा क्या है?
- आपदा जोखिम क्या है?
- कब एक tkf[ke के फलस्वरूप एक vkink प्रकट होती है?
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है?
- आपातकाल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बीच क्या अंतर है?
- आपदा जोखिम प्रबंधन में मुख्य साझेदार कौन–कौन हैं?
- आपदाओं एवं विकास के बीच क्या संबंध है?
- आपदा जोखिम प्रबंधन में कुछेक मुख्य रूझान क्या हैं?

Hkkjr esa vkink tkf[ke U;wuhdj.k dh fn'kk esa ifjorZu

- भारत सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचा
- राष्ट्रीय नीति ढांचा
- आपदा प्रबंधन अधिनियम
- अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं
- राष्ट्रीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े हैं
- आपदा प्रबंधन – भारत की मौजूदा स्थिति
- दसवीं योजना सूत्रीकरण
- क्रियान्वयन की स्थिति

vkink tkf[ke izca/ku% la;qDr jk"Vª ;w-,u-Mh-ih- Hkkjr dh Hkwfedk

- आपदा जोखिम प्रबंधन में संयुक्त राष्ट्र तंत्र की क्या भूमिका है?
- सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से जुड़े और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय विकास लक्ष्य
- आपदा जोखिम प्रबंधन में यू.एन.डी.पी. की क्या भूमिका है?
- भारत में यू.एन.डी.पी.

leqnk; vk/kkfjr vkink rRijrk D;k gS\

- आपदा तत्परता और प्रशमन का महत्त्व
- समुदाय आधारित आपदा तत्परता क्या हैः समुदाय आधारित आपदा तत्परता के विभिन्न घटक
- उपलब्ध संसाधनों और दीर्घकालिक तत्परता के साथ आपातकाल प्रतिक्रिया के लिए प्रत्येक आपदा प्रबंधन दल के कार्यों को परिभाषित करना

- समुदाय आधारित आपदा तत्परता के अपनाए गए प्रतिमानः
- समुदाय आधारित आपदा तत्परता में महिलाओं की सहभागिता
- विकास परियोजनाओं के साथ जोड़ना और एक विकेंद्रीकृत विधि को सुदष्ढ़ बनाना – इन पर किस तरह कार्यवाही की जा रही है।

ipk;rh jkt lLFkkvk dh Hkfedk & Hkkjr ljdkj&;-,u-Mh-ih- vkink tkf[ke ic/ku ifj;ktuk d vrxr ,d fun'k vo/kkj.kk

- गांव/ग्राम संसद स्तर पर
- ग्राम पंचायत/ग्राम सभा स्तर पर
- ब्लाक/पंचायत समिति स्तर पर
- जिला/जिला परिषद स्तर पर
- आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

lkr

vkink tkf[ke ic/ku lc/kh vo/kkj.kk,

tkf[ke D;k g\ bldk oxhdj.k fdl rjg fd;k tkrk g\

एक खतरनाक स्थिति या घटनाएं जो जीवन को क्षति पहुंचाने या संपत्ति अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का खतरा या संभावना रखती हैं। इनका विभिन्न तरीकों से वर्गीकरण किया जा सकता है लेकिन पूरे विश्व में जोखिमों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो बृहत शीर्षकों के अंतर्गत बुनियादी तौर पर वर्गीकृत किया गया हैः

1. प्राकृतिक जोखिम (वायुमंडलीय, भूवैज्ञानिक या जैविक उत्पत्ति तक रखने वाले जोखिम)
2. अप्राकृतिक जोखिम (मानव–निर्मित या औद्योगिकीय उत्पत्ति वाले जोखिम)

यह जानकारी होना भी जरूरी है कि प्रकृति की अद्भुत घटनाएं जलवायु, जल–विज्ञान या भूविज्ञान संबंधी चरम प्रक्रियाएं हैं जिनसे व्यक्तियों या संपत्ति के लिए कोई खतरा नहीं होता है। उदाहरणार्थ, एक आबादी रहित क्षेत्र में भारी भूकंप प्रकृति की एक अद्भुत घटना है, *एक जोखिम नहीं।* यह केवल तभी होता है जब प्रकृति की अद्भुत घटनाओं की मानव निर्मित पर्यावरण या कमजोर क्षेत्रों के साथ अंतःक्रिया होती है जिनसे व्यापक नुकसान होता है।

vkink D;k g\

आपदा एक गंभीर व्यवधान है जो एक जोखिम से प्रवर्तित होता है, जिसके कारण मानवीय, भौतिक, आर्थिक या (और) पर्यावरणीय नुकसान होते हैं, जो प्रभावित व्यक्तियों की सामना करने की सामर्थ्य से अधिक होता है। *(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)*

vkink d e[; ?kVd D;k g\

tkf[kek] vfrlonu'khyrk की स्थितियों और [krj के संभावित नकारात्मक परिणामों को कम करने की अपर्याप्त {kerk या पूर्वोपायों के संयोजन के परिणामस्वरूप आपदाएं प्रकट होती हैं।

(स्रोतः जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002)

एक tkf[ke एक संभावित क्षतिदायक भौतिक घटना, अद्भुत घटना या मानवीय गतिविधि है जिसके कारण मष्त्यु या चोट, संपत्ति की क्षति, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरण का क्षय हो सकता है। *(स्रोतः जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002)*

भूकंप, बाढ़ और औद्योगिक गैसों के रिसाव जोखिमों के कुछ उदाहरण हैं। जोखिम की उत्पत्ति और प्रभाव इकहरे, परिणामी या मिलजुले हो सकते हैं। जोखिमपूर्ण घटनाओं का आकार या उग्रता, आवष्त्ति, समयावधि, विस्तार का क्षेत्र, षुरुआत की गति, स्थानिक विसर्जन और सांसारिक समयांतर अलग–अलग हो सकता है। जोखिमों की उत्पत्ति के आधार पर उनका दो बष्हत किस्मों में वर्गीकरण किया जाता है – प्राकृतिक जोखिम और मानव–प्रेरित जोखिम (आकृति 1. 1)।

1. *प्राकृतिक जोखिमः* ये जीवमंडल में घटित होने वाली ऐसी प्रक्रियाएं या अद्भुत घटनाएं हैं जो एक क्षतिदायक घटना बन सकती हैं जिनके परिणामस्वरूप मष्त्यु या चोट, संपत्ति का नुकसान, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरण का क्षय हो सकता है। प्राकृतिक जोखिमों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया हैः

   क. भूवैज्ञानिक जोखिम
   ख. जल मौसम विज्ञानी जोखिम
   ग. जैविक जोखिम

2. *मानव प्रेरित जोखिमः* ये ऐसी प्रक्रियाएं या अद्भुत घटनाएं हैं जिनकी उत्पत्ति मूलतः मानवीय गतिविधियों के कारण होती है और परिणामस्वरूप मष्त्यु या चोट, संपत्ति का नुकसान, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरण का क्षय हो सकता है। इनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता हैः

d- i;koj.k dk {k; vkj
[k- vk|kfxdh; tkf[ke

tkf[ke एक संभाव्य क्षतिदायक भौतिक घटना, अद्भुत घटना या मानवीय गतिविधि जिसके परिणामस्वरूप मष्त्यु या चोट, संपत्ति का नुकसान, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरण का क्षय हो सकता है।

ikÑfrd tkf[keजीवमंडल में घटित होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाएं या अद्भुत घटनाएं जो एक क्षतिदायक घटना हो सकती है। प्राकृतिक जोखिमों का उनकी (1) जल मौसम विज्ञानी (2) भूवैज्ञानिक या (3) जैविक उत्पत्तियों के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है।

mRifÙk	vnHkqr ?kVuk@mnkgj.k
¼1½ ty ekSle foKkuh tkf[keवातावरणीय, जलविज्ञानी या समुद्रविज्ञानी स्वरूप की प्राकृतिक प्रक्रियाएं या अद्भुत घटनाएं	▪ बाढ़, मलबा और पंक प्रवाह ▪ उष्मकटिबंधीय चक्रवात, तूफानी प्रोत्कर्ष, हवा, वर्षा और अन्य उग्र तूफान, तड़ित ▪ अकाल, रेगिस्तान का फैलना, जंगली दावानल, तापमान की पराकाष्ठा, बालू और धूल के तूफान ▪ स्थायी तुषार, हिमस्खलन

¼2½ HkfoKkuh tkf[ke पष्थ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाएं या अद्‌भुत घटनाएं जिनमें अंतर्जात उत्पत्ति अथवा विवर्तनिक प्रक्रियाएं या बर्हिजात प्रक्रियाएं जैसे द्रव्यमान गति षामिल हैं।	▪ भूकंप, सूनामी ▪ ज्वालामुखी की गतिविधि और उत्सर्जन ▪ दव्यमान गति भूस्खलन, शिलास्खलन, द्रवण, समुद्र में स्खलन ▪ सतह ढहना, भौगोलिक दोष गतिविधियां
¼3½ tSfod tkf[ke जैविक अंगों की प्रक्रिया या जैविक रोगजनकों द्वारा उत्पन्न, जिसमें रोगजीवियों, सूक्ष्म जीवियों, जीवविषों और जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों के प्रति अरक्षितता षामिल है।	▪ महामारियों, बीमारियों, पादप या पशु विष और व्यापक जंतुबाधा के प्रकोप

vkS|ksfxdh; tkf[keप्रौद्योगिकीय या औद्योगिक दुर्घटनाओं, अवसंरचना की खराबी या कतिपय मानवीय गतिविधियों से जुड़े खतरे जिनके परिणामस्वरूप मष्त्यु या चोट, संपत्ति का नुकसान, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान या पर्यावरण का क्षय हो सकता है, इन्हें कभी–कभार मानविकीय जोखिम कहा जाता है। उदाहरणों में औद्योगिक प्रदूषण, परमाणु अपशिष्ट सामग्री और रेडियोधर्मिता, विषाक्त कचरा, बांध का टूटना या ढहना, परिवहन, औद्योगिक या प्रौद्योगिकीय दुर्घटनाएं (विस्फोट, आग, छितराव)।

i;kZoj.kh; {k; मानवीय व्यवहार एवं गतिविधियों से उत्प्रेरित प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधन आधार को क्षति पहुंचाती हैं या प्राकृतिक प्रक्रियाओं या पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। संभावित प्रभाव परिवर्तनशील हैं और अतिसंवेदनशीलता, प्राकृतिक जोखिमों की आवष्त्ति एवं उग्रता को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उदाहरणों में भूक्षरण, वनक्षरण, रेगिस्तान का फैलना, जंगली दावानल, जैव–विविधता का क्षय, भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण, जलवायु में परिवर्तन, समुद्र के स्तर का बढ़ना और ओजोन का क्षय षामिल हैं।

आकृति 1.1: जोखिम – अवधारणाएं और वर्गीकरण

स्रोतः जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002

vfrlaosnu'khyrk D;k gS\

vfrlaosnu'khyrk भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारणों या प्रक्रियाओं से निध ाारित होने वाली स्थिति है जो जोखिमों के प्रभाव के प्रति एक समुदाय की सुप्रभाव्यता को बढ़ाती है। *(स्रोतः जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002)*

एक जोखिम के प्रभाव से एक समुदाय के लिए क्षति का आकार न केवल उस जोखिम के प्रति समुदाय की प्रत्यक्ष अरक्षितता पर, बल्कि उसकी अतिसंवेदनशीलता पर भी निर्भर करता है। यहां प्रत्यक्ष अरक्षितता का अभिप्राय जोखिमग्रस्त घटक हैं। इन घटकों में लोग, शिल्पकृतियाँ, अवसंरचना आदि षामिल हो सकते हैं। *(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)* दूसरी ओर अतिसंवेदनशीलता भौतिक पर्यावरण के पहलुओं से निर्धारित होती है, जैसे आवास का स्वरूप, उपलब्ध खुला स्थान आदि, और सामाजिक–आर्थिक हालातों के पहलुओं से निर्धारित होती है जैसे आय का स्तर, पोषण की स्थिति, पार्श्वीकरण आदि।

भारत की जनसंख्या के लिए अतिसंवेदनशीलता के कुछ सूचक इस प्रकार हैंः

- गरीबी
- जनसंख्या विस्फोट
- जनसांख्यिकी असंतुलन
- बेरोजगारी
- अनियोजित षहरों में विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि
- बढ़ते हुए प्रवासी प्रवाह
- सामाजिक–आर्थिक तनाव और अनिश्चितता
- निरक्षरता
- महिला एवं बाल विकास के मुद्दे
- सुदष्ढ़ सांस्थानिक एवं वैधानिक/विनियामक पद्धतियों की गैर–मौजूदगी और अदीर्घकालिक पर्यावरणीय पद्धतियाँ

{kerk एक समुदाय, समाज या संगठन के भीतर उपलब्ध सभी षक्तियों और संसाधनों का संयोजन है जो जोखिम के स्तर या आपदा के प्रभावों को कम कर सकता है। क्षमता में भौतिक, सांस्थानिक, सामाजिक या आर्थिक साधन और कुशल कार्मिक या सामूहिक गुण जैसे 'नेतृत्व' और 'प्रबंधन' षामिल हो सकते हैं। क्षमता का विवरण सामर्थ्य के रूप में दिया जा सकता है। *(स्रोतः जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002)*

'क्षमता' के ढांचे के भीतर दो अवधारणाएं जो आपदा प्रबंधन में अक्सर इस्तेमाल होती हैं, इस प्रकार हैंः

- **lkeuk djus dh {kerk%** जिस विधि से लोग और संगठन एक आपदायी अद्‌भुत घटना या प्रक्रिया की असाधारण, असामान्य और प्रतिकूल परिस्थितियों में विभिन्न लाभप्रद लक्ष्य हासिल करने के लिए मौजूदा संसाधनों को इस्तेमाल करते हैं। *(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)*

  सामना करने की क्षमता का एक उदाहरण 1999 के चक्रवात के बाद उड़ीसा के मंदिरों और स्कूलों जैसे सामुदायिक क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीण समूहों द्वारा स्थापित किए गए सामुदायिक रसोईघर हैं।

leRFkku&'kfDr% एक व्यवस्था, समुदाय या समाज की प्रतिरोध करने या बदलने की क्षमता ताकि वह कार्य करने एवं व्यवस्था का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त कर सके। यह इससे निर्धारित होता है कि सामाजिक व्यवस्था किस हद तक खुद को सुव्यवस्थित करने में समर्थ है, और एक आपदा से समुत्थान करने की क्षमता सहित सीखने एवं अनुकूलन के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने की सामर्थ्य। *(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)*

[krjk नुकसानदायक परिणामों या प्रत्याशित क्षतियों (मष्त्यु, चोट, संपत्ति, जीविका, आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान या पर्यावरण की क्षति) की संभाव्यता है जो प्राकृतिक या मानव–प्रेरित जोखिमों और अतिसंवेदनशील परिस्थितियों की अंतःक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। *(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)*

परंपरागत रूप से जोखिम को निम्न समीकरण द्वारा अभिव्यक्त किया जाता हैः

[krjk = tkf[ke × vfrlaosnu'khyrk

(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)

कुछ व्यवसायी यह संकेतन प्रयोग करते हैं: [krjk= tkf[ke× vfrlaosnu'khyrk ?kVk **(–)** {kerk

वे क्षमता की एक ऐसे घटक के रूप में पहचान करते हैं जो जोखिमों के प्रभावों और अतिसंवेदनशीलता को अत्यधिक कम कर सकते हैं और इस प्रकार खतरे को कम कर सकते हैं। यहां किसी खास संकेतन के प्रयोग पर कोई आम सहमति नहीं है।

vkink tkf[ke D;k gS\

आपदा जोखिम नुकसानदायक परिणामों या प्रत्याशित क्षतियों (मष्त्यु, चोट, संपत्ति, जीविका, आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान या पर्यावरण की क्षति) की संभाव्यता है जो प्राकृतिक या मानव–प्रेरित *जोखिमों* और *अतिसंवेदनशील* परिस्थितियों की अंतःक्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। *(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)*

उदाहरणार्थ, राजस्थान की विरल आबादी वाले गांव और दिल्ली के अत्यधिक घनी आबादी वाले षहर में समान तीव्रता वाला भूकंप जोखिम मानव जीवन, संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों को अलग–अलग स्तर की क्षति पहुंचाएगा। यह जनसंख्या की घनत्वों, मकानों के किस्मों, उद्योगों के किस्मों, अवसंरचना की आर्थिक लागत, भौगोलिक रूपरेखा आदि के मायनों में दोनों स्थलों के बीच अंतर के कारण है। इस प्रकार भूकंप आपदा जोखिम, भूकंप जोखिम और उस परिप्रेक्ष्य (अतिसंवेदनशीलता और क्षमता) का संयोजन है जिसमें जोखिम आक्रमण करता है।

dc ,d *tkf[ke* ifj.kkeLo:i ,d *vkink* i:dV gkrh g\

एक आपदा तब प्रकट होती है जब समाज के एक वर्ग पर एक जोखिम का प्रभाव उस घटना की रोकथाम करने या उसका सामना करने की उस समाज की क्षमता को पराजित कर देता है, परिणामस्वरूप मष्त्यु, चोट, संपत्ति की क्षति और/या आर्थिक क्षतियाँ होती है।

अगर किसी निर्जन रेगिस्तान में, जहां मानव नहीं रहते हैं, भूकंप आता है तो इससे समाज को प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक नुकसान नहीं पहुंचेगा और इस प्रकार इसे एक आपदा नहीं कहा जाएगा। इसके विपरीत ऐसी आपदाओं के कारण हमारे देश में जीवन एवं जीविकाओं की क्षति का आकार किसी आधुनिक मानदंड के अनुसार अत्यधिक है। इसका कोई कारण नहीं है कि गुजरात में रिचटर स्केल पर 6.9 तीव्रता वाले भूकंप के परिणामस्वरूप 13,805 लोग मारे गए, 11,67,000 लोग घायल हुए, 2,22,035 मकान नष्ट हो गए और 917,158 मकान क्षतिग्रस्त हो गए जबकि यू. एस.ए. और जापान में समान तीव्रता वाले भूकंपों को सापेक्ष रूप से मामूली प्रभाव पड़ा है। भोपाल गैस रिसाव (मिथाइल आइसो–साइनेट गैस थी) जैसी त्रासदियों और हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और अकालों के नियमित प्रकोप दर्शाते हैं कि देश में संपूर्ण आपदा प्रबंधन हासिल करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

vkink i:c/ku vf/kfu;e] 2005 e: vkink dh fuEufyf[kr ifjHkk"kk nh xbZ g%

(घ) "आपदा" का अभिप्राय किसी भी क्षेत्र में एक महाविपत्ति, अनर्थ, संकट या गंभीर घटना है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से अथवा दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न हुई हो, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की भारी क्षति या मानवीय कष्ट हो, या संपत्ति की क्षति अथवा विध्वंस हो, या पर्यावरण की क्षति अथवा क्षय हो, और ऐसे स्वरूप या आकार की हो जो प्रभावित क्षेत्रों के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हो।"

vkinkvksa dk dkN i:dkj D;k g\

आपदाओं का गति और उत्पत्ति/कारण के आधार पर विभिन्न किस्मों में वर्गीकरण किया जा सकता है।

d- 'k#vkr dh xfr%

/kheh 'k#vkr okyh vkink% वह आपदा जो विकास प्रक्रियाओं के साथ प्रकट होती है। जोखिम को अनेक दिनों, महीनों या वर्षों तक एक सतत दबाव के रूप में महसूस किया जा सकता है। अकाल, पर्यावरणीय क्षरण, कीट जंतुबाधा, सूखा इसके कुछ उदाहरण हैं।

rhoz 'k#vkr okyh vkink% वह आपदा जो एक तात्कालिक आघात के कारण प्रवर्तित होती है। इस आपदा का प्रभाव मध्यावधि या दीर्घावधि के दौरान प्रकट हो सकता है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी का फटना इसके कुछेक उदाहरण हैं।
(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)

[k- mRifÙk@dkj.k%

izkÑfrd vkink,¡% एक प्राकृतिक जोखिम (जल मौसम विज्ञानी, भौगोलिक या जैविक उत्पत्ति वाला) द्वारा प्रवर्तित एक गंभीर व्यवधान जिससे मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय क्षतियाँ हो जो प्रभावित लोगों के सामना करने की क्षमता से परे हों। प्राकृतिक आपदाओं के कुछ उदाहरण 2004 में भारतीय महासागर की सूनामी, 2001 में गुजरात भूकंप, 1999 में उड़ीसा का महाचक्रवात, राजस्थान में आवर्ती अकाल तथा उत्तरी एवं पश्चिमी भारत के ग्रामीण एवं षहरी, दोनों इलाकों में सालाना बाढ़ें हैं।

ekuo&izsfjr vkink,¡% एक मानव–प्रेरित जोखिम द्वारा प्रवर्तित एक गंभीर व्यवधान जिससे मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय क्षतियाँ हो जो प्रभावित लोगों के सामना करने की क्षमता से परे हों।

इसके कुछ उदाहरण हैं 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, 1997 में दिल्ली में उपहार सिनेमाघर में आग लगना, 2003 में कुम्बाकोणम आग त्रासदी, 1993 और 2006 में मुंबई बम विस्फोट, 2006 में राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का रेलपटरी से उतरना आदि।

vkink tksf[ke U;wuhdj.k D;k gS\

vkink tksf[ke U;wuhdj.k ¼Mh-vkj-vkj-½ दीर्घकालिक विकास के बष्हत परिप्रेक्ष्य में एक पूरे समाज में अतिसंवेदनशीलताओं, जोखिमों और आपदा के प्रकट होने को न्यूनतम करने के लिए नीतियों, रणनीतियों एवं पद्धतियों की सुव्यवस्थित विकास एवं क्रियान्वयन है (स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)।

यू.एन.डी.पी. आपदा प्रबंधन के सभी चरणों (राहत एवं प्रतिक्रिया; समुत्थान; पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण; प्रशमन और तत्परता) और सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण

विधि अपनाए जाने का समर्थन करता है। यह आपदाओं को जोखिम न्यूनीकरण और विकास के अवसर के रूप में देखता है।

उदाहरणार्थ, भूकंप के बाद की स्थिति में राहत सामग्री का भंडारण एक ऐसे क्षेत्र में किया जाना चाहिए जो उत्तरवर्ती झटकों के कारण संभाव्य क्षतियों से सुरक्षित है। यह एक क्षतिग्रस्त इमारत में या उसके आस–पास की बजाय एक खुला मैदान हो सकता है। इसी प्रकार पुनर्निर्माण में भूकंप सुरक्षा विशेशताओं का घटक षामिल किया जा सकता है भले भूकंप से पहले इन्हें न अपनाया गया हो।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण को महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह जोखिमों के क्षतिदायक प्रभावों के प्रति समाज की अरक्षितता को कम करने में मदद करेगा। दीर्घावधि में यह गरीब एवं अतिसंवेदनशील लोगों की विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों के उपयोग में भी मदद करेगा।

यू.एन.आई.एस.डी.आर (संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय नीति) के अनुसार आपदा जोखिम न्यूनीकरण ऐसे घटकों का संकल्पनात्मक ढांचा है जो एक पूरे समाज में अतिसंवेदनशीलताओं और आपदा जोखिमों को न्यूनतम बनाने में, जोखिमों के प्रतिकूल प्रभावों से बचने (रोकथाम) या उन्हें सीमित (प्रशमन और तत्परता) करने में मदद करेंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचे में कार्यवाही के निम्नलिखित क्षेत्र षामिल हैंः

- जोखिम विश्लेशण और अतिसंवेदनशीलता/क्षमता विश्लेशण सहित जोखिम के प्रति जागरुकता और मूल्यांकन;
- शिक्षा, प्रशिक्षण, षोध एवं सूचना सहित ज्ञान का विकास;
- संगठनात्मक, नीतिगत, वैधानिक एवं सामुदायिक कार्यवाही सहित सार्वजनिक प्रतिबद्धता और सांस्थानिक ढांचे;
- पर्यावरणीय प्रबंधन, भूमि उपयोग और षहर नियोजन, महत्त्वपूर्ण सुविधाओं की सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, सहभागिता एवं नेटवर्किंग, और वित्तीय साधनों सहित पूर्वोपाय पर अमल;
- पूर्वानुमान, चेतावनियों के प्रचार, तत्परता पूर्वोपायों और प्रतिक्रिया क्षमताओं सहित षीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ।

(स्रोतः जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002)

नए रेखांकित fg;kxk Ýeod Qkj ,D'ku ¼,p-,Q-,-½ 2005&2015 का लक्ष्य साझेदारों का "आपदाओं हेतु राष्ट्रों एवं समुदायों की समुत्थान–शक्ति का निर्माण करने" के लिए साझेदारों का दिशानिर्देशन करना है। इसमें कार्यवाही हेतु निम्न पांच प्राथमिकताओं के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया हैः

i. सुनिश्चित करना कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्रियान्वयन हेतु एक सुदष्ढ़ सांस्थानिक आधार के साथ एक सैद्धांतिक एवं स्थानीय प्राथमिकता है।

ii. आपदा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं निगरानी करना तथा षीघ्र चेतावनी को बढ़ाना।

iii. सभी स्तरों पर संरक्षा की संस्कृति एवं समुत्थान–शक्ति का निर्माण करने के लिए ज्ञान, नई सोच एवं शिक्षा को इस्तेमाल करना।

iv. अंतर्निहित जोखिम घटकों का न्यूनीकरण करना।

v. सभी स्तरों पर कारगर प्रतिक्रिया के लिए आपदा तत्परता को सुदष्ढ़ बनाना।

vkikrdky izca/ku] vkink izca/ku] vkink tksf[ke izca/ku vkSj vkink tksf[ke U;wuhdj.k dh chp D;k varj gS\

vkikrdky ;k ladV izca/ku का अभिप्राय आपातकाल के सभी पहलुओं को संभालने के लिए संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों को सुव्यवस्थित एवं प्रबंधन करना है, विशेशकर तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनर्स्थापन का। *(स्रोतः जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002)*

उदाहरणार्थ, इसमें एक आपातकाल के दौरान सरकार, स्वयंसेवी और निजी एजेंसियों की प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए योजनाएं, ढांचे और व्यवस्थाएं षामिल हैं।

vkink izca/ku ¼Mh-,e-½ एक आम पद के रूप में उन सभी विभिन्न गतिविधियों को षामिल करता है जिनकी रूपरेखा आपदाओं/आपातकालीन परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए और एक आपदा के प्रभावों से बचने, कम करने या उसके प्रभाव से उभरने में लोगों की मदद करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध करने के लिए बनाई गई है। इन गतिविधियों का तत्परता, प्रशमन, आपातकाल प्रतिक्रिया, राहत एवं समुत्थान (पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन) के साथ संबंध हो सकता है और इसलिए एक आपदा से पहले, के दौरान या के बाद इनका संचालन किया जा सकता है। *(स्रोतः जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002)*

vkink tksf[ke izca/ku ¼Mh-vkj-,e-½ प्राकृतिक और संबंधित पर्यावरणीय एवं औद्योगिक जोखिमों के प्रभावों को कम करने के लिए नीतियों, रणनीतियों और समाज या व्यक्तियों की सामना करने की क्षमताओं को क्रियान्वित करने हेतु प्रशासनिक निर्णयों, संगठन, प्रचालनिक कौशलों एवं सामर्थ्यों की सुव्यवस्थित प्रबंधन है। *(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)*

vkink tksf[ke U;wuhdj.k ¼Mh-vkj-vkj-½ दीर्घकालिक विकास के बष्हत परिप्रेक्ष्य में एक पूरे समाज में अतिसंवेदनशीलताओं, जोखिमों और आपदा के प्रकट होने को न्यूनतम करने के लिए नीतियों, रणनीतियों एवं पद्धतियों की सुव्यवस्थित विकास एवं क्रियान्वयन है। *(स्रोतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यू.एन.डी.पी. 2004)*

आपातकाल प्रबंधन आपदा प्रबंधन का, आपदा प्रबंधन आपदा जोखिम प्रबंधन का और आपदा जोखिम प्रबंधन आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक भाग है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मोटे तौर पर आपदा जोखिम प्रबंधन और उसके चरणों एवं घटकों के लिए एक विधि समझा जा सकता है। यह विधि पूरे आपदा सांतत्यक में, आपातकाल प्रबंधन से लेकर आपदा प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन तक और सामान्य समय में हमेशा सक्रिय अवश्य रहनी चाहिए।

vkink tkf[ke ic/ku e e[; lk>nkj dku g\

आपदाओं के पैमाने, आवषत्ति और जटिलता का निवारण विकास और आपातकाल कार्यक्रमों, दोनों में सिर्फ विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कौशलों, विधियों एवं संसाधनों के इस्तेमाल द्वारा किया जा सकता है। जोखिम न्यूनीकरण की पहलकदमियाँ अनेक विभिन्न साझेदारों – राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यकर्ताओं, सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज – को षामिल करते हुए अनिवार्यतः बहुविभागीय साझेदारियाँ होनी चाहिए। सरकार में साझेदारों में मंत्रालय, संबंधित विभाग, सशस्त्र सेना (थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तटरक्षक और अन्य) और रक्षा स्कंध जैसे पुलिस, द्रुत कार्यवाही बल आदि षामिल हैं जो बचाव एवं राहत में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विकास एवं माननीय सहायता एजेंसियों, द्विपक्षीय दातागणों, रेडक्रॉस सोसायटियों, नागरिक समूहों जैसे गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), समुदाय आधारित संस्थाओं (सी.बी.ओ.), स्वयंसेवी संगठनों, तकनीकी, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थानों, शिक्षाविदों, परामर्शदाताओं, मीडिया, कार्पोरेट क्षेत्र और निजी क्षेत्र की सहायता मिलती है। इन सभी को जोखिमग्रस्त समुदाय, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, के साथ आपदा जोखिम का न्यूनीकरण करने में एक भूमिका निभानी है।

आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व देश की सरकार का है। इसमें शामिल हैः दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण एवं तत्परता पूर्वोपायों की योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन; आपदा राहत और पुनर्स्थापन कार्यों का अनुरोध एवं प्रशासन करना, अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध करना अगर आवश्यकता हो; और आपदा संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से वित्तपोषितद्ध दोनों तरह के सभी सहायता कार्यक्रमों का समन्वय करना।

vkinkvk vkj fodkl d chp D;k lc/k g\

आपदा की परिभाषा विफल विकास के निमित्त और उत्पाद के रूप में दी जाती है जो इन दोनों अवधारणाओं के बीच संबंध को रेखांकित करता है। **nh?kdkfyd fodkl** वह विकास है जो भावी पीढ़ियों द्वारा उनकी जरूरतों को पूरा करने की सामर्थ्य से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यह दो मुख्य अवधारणाओं के बीच सीमित रहता हैः 'जरूरतों' की अवधारणा, विशेशकर दुनिया के गरीबों की अनिवार्य जरूरतें जिन्हें अध्यारोही प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए; और वर्तमान एवं भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए

पर्यावरण की सामर्थ्य पर प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन की अवस्था द्वारा रोपित सीमाओं का विचार (ब्रडंटलैंड कमीशन, 1987)।

आपदाएं और विकास का आपस में प्रतिलोमतः संबंध है जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से परिलक्षित होता हैः

vkink,a fodkl dk izHkkfor djrh gSA 1992 और 2001 के बीच प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक जोखिमों से उत्पन्न हुई आपदाओं के कारण औसतन 60,000 से अधिक लोग मारे गए। इन्होंने मकानों, संपत्ति, फसलों, मवेशी और स्थानीय अवसंरचना को क्षति के जरिये प्रति वर्ष (1991–2000) औसतन 21.1 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। वर्तमान में बड़ी आपदाओं के कारण एक वर्ष में 90 खरब अमरीकी डालर से अधिक सम्बद्ध आर्थिक क्षतियाँ होती हैं; इसमें छोटी और मध्यम आकार की आपदाओं से होने वाली क्षतियाँ षामिल नहीं हैं। कुछ इकहरी आपदाओं के प्रभाव राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) को पार कर गया जिसके परिणामस्वरूप ऋणात्मक आर्थिक विकास हुआः मालद्वीप को 2004 में भारतीय महासागर की सूनामी के बाद अपने सकल घरेलू उत्पाद से अधिक क्षति वहन करनी पड़ी। तालिका 1.3 भारत में 2004 की सूनामी के बाद हुई हानि एवं क्षति संबंधी आंकड़ा दर्शाती है।

Hkkjr esa izHkkfor jkT;	gkfu ,oa {kfr ¼nl yk[k vejhdh Mkyj esa½			thfodkvksa ij izHkko
	हानि	क्षति	कुल	
आंध्र प्रदेश	31.8	16.7	48.5	35.6
केरल	68.2	57.6	125.8	82.6
तमिलनाडु	509.8	327.5	837.3	332.8
पांडिचेरी	48.2	8.2	56.4	30.4
कुल (क्षेत्रों के अनुसार)	658.0	410.0	1,068.0	481.4
मछलीपालन	320.1	304.5	624.6	383.2
कृषि एवं मवेशी	15.1	22.0	37.1	42.0
लघु उद्यम एवं अन्य	19.7	36.5	56.2	56.2
आवास	193.5	35.2	228.7	
स्वास्थ्य एवं शिक्षा	13.7	9.9	23.6	
ग्रामीण एवं नगरपालिका अवसरंचना	27.9	1.6	29.5	
परिवहन	35.2	0.3	35.5	
तटवर्ती सुरक्षा	33.6	0.00	33.6	
राहत#		200.7	200.7	

'हानि' का अभिप्राय परिसंपत्तियों एवं संपत्ति का प्रत्यक्ष नुकसान है। 'क्षति' का अभिप्राय हानि की आर्थिक अवसर लागत है।

तालिका 1.3ः भारत में 2004 की सूनामी पश्चात हानि एवं क्षति
स्रोतः एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की संयुक्त मूल्यांकन मिशन रिपोर्ट, 2005

आपदाओं के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों की संख्या, उदाहरणार्थ प्रतिकूल आर्थिक हालातों के कारण बढ़ती हुई कीमतें या जीविकाओं का नुकसान, अनगिनत है। इसके अलावा,

- आपदाएं (छोटी, मध्यम और बड़ी) सामाजिक कल्याण के लाभों को नष्ट कर देती हैं।
- बड़ी आपदाओं के बाद समुत्थान में आपदा जोखिम दृष्टिकोणों के अभाव के परिणामस्वरूप "जोखिम के निर्माण एवं पुनर्निर्माण" में निवेश होता है, जो अदीर्घकालिक मानव विकास को बढ़ावा देता है।
- आपदाओं के चक्रवर्ती नुकसानों एवं जोखिमों के कारण सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के अनुसरण में गरीबी उन्मूलन, सुशासन और अन्य दीर्घकालिक विकासात्मक गतिविधियों को चुनौती मिलती है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के बारे में अधिक जानकारी के लिए खंड 2, प्रश्न 2.1 और 2.2 का अवलोकन करें।

fodkl vkinkvksa dks izHkkfor djrk gS% आपदाओं से विकासशील देशों को सबसे अधिक नुकसान होता है। 1992 और 2001 के बीच प्राकृतिक आपदाओं के कारण 96 प्रतिशत मौतें ऐसे देशों में हुई हैं जिन्हें यू.एन.डी.पी. ने मानव विकास के संबंध में मध्यम एवं निम्न के रूप में वर्गीकृत किया है। इसी समयावधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित 98 प्रतिशत लोग इन्हीं देशों में निवास करते थे। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं से अरक्षित केवल 11 प्रतिशत लोग मानव विकास के संबंध में निम्न स्तरों वाले देशों में निवास करते हैं, फिर भी कुल पंजीकृत मौतों में उनका 53 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है।

एक देश के विकास के स्तरों और आपदा जोखिमों के बीच स्पष्ट और गहरा संबंध है। उपयुक्त विकास नीतियाँ, जिनमें आपदा जोखिम चिंताओं को षामिल किया गया हो, आपदायी क्षति का न्यूनीकरण करने, मौजूदा विकास लाभों की रक्षा करने तथा नए जोखिमों से बचने में मदद कर सकती हैं। इस प्रकार आपदा–संवेदी विकास नीतियाँ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती हैं।

udkjkRed i{k%

1- vkink,sa o"kksZa dh fodkl igydnfe;ksa dks u"V djrh gSa, fodkl dk;ZØe dks ihNs /kdsy nsrh gSA

इस क्षेत्र के उदाहरणों में बाढ़ द्वारा नष्ट हो गई अवसंरचना, एक गांव की मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था पर अकालों के प्रभाव षामिल हैं। उदाहरणार्थ, 2004 की सूनामी के कारण परिवहन (2.45 करोड़ अमरीकी डालर), ग्रामीण एवं नगरपालिका अवसंरचना (2.95 करोड़ अमरीकी

डालर) और स्वास्थ्य एवं शिक्षा (2.36 करोड़ अमरीकी डालर) के विकास क्षेत्रों में भारी हानि एवं क्षति हुई। समाज के कुछ अतिसंवेदनशील वर्गों की जीविकाओं पर इसका भारी प्रभाव पड़ा, जैसे मछुआरा समुदाय, विशेशकर तट के नजदीक छप्पर के (कच्चे) घरों में रहने वाले लोग। इनमें से अनेक लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और उनमें से एक–तिहाई दलित या आदिवासी थे। मछलीपालन क्षेत्र को लगभग 62.46 करोड़ अमरीकी डालर की क्षति हुई। (एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की संयुक्त मूल्यांकन मिशन रिपोर्ट, 2005)

2- fodkl dk;Øe vkinkvk d ifr ,d {k= dh vfrlonu'khyrk dk c<k ldr gA

नदियों के तटों पर कृत्रिम तटबंधों के कारण नदियों को प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है और मानसून के दौरान बाढ़–मैदानों में छितराव रुक जाता है। कम ऊंचाई वाले इन बाढ़–मैदानों में मानव आबादियां बस जाती हैं। मानसून के मौसम के दौरान अक्सर उर्ध्वप्रवाही जलाशयों से पानी छोड़े जाने के साथ अत्यधिक भारी वर्षा के कारण नदियां अपने तटबंध तोड़ देती हैं और बाढ़–मैदानों में अतिक्रमण कर चुकी मानव आबादियों में बाढ़ आ जाती है।

ldkjkRed i{k

1- ,d vkink dk ckn iqufuekZ.k fodkl dk;Øe k: dju dk fy, mYy[kuh; volj miyC/k djkrk gA

2001 के गुजरात भूकंप के बाद गुजरात सरकार द्वारा षुरू किये गये स्वामित्व–प्रेरित आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमों ने सुरक्षित पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय के कौशन का निर्माण करने में मदद की और सामुदायिक नेतृत्व को सुदृढ़ किया। 2004 की सूनामी के बाद भारत में अनेक राज्य सरकारों ने स्पष्ट किया कि इस आपदा ने उन्हें तटवर्ती विनियम क्षेत्र (सी.आर.जेड.) अधिसूचना लागू करने का एक अवसर दिया है। इससे उन्हें तात्कालिक सी.आर.जेड. से बाहर तटवर्ती गांवों के पुनर्निर्माण करके उच्च ज्वार रेखा और अंतर–ज्वार क्षेत्र के 500 मीटर के भीतर आने वाले क्षेत्र में भारत के तटों पर विकास गतिविधियों और भूमि उपयोग को विनियमित करने में मदद मिलेगी।

2- fodkl dk;Øek dh :ij[kk vkinkvk d ifr vfrlonu'khyrk vkj mud udkjkRed iHkkok dk de dju d fy, cukbZ tk ldrh gA

भारत सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं, जैसे कि इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत बनाई जाने वाली स्कूल इमारतों/सामुदायिक इमारतों में भूकंप/चक्रवात/बाढ़रोधी दिशानिर्देशों को षामिल किया जा सकता है। गृह मंत्रालय, भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय तथा ग्रामीण

विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास के लिए नोडल मंत्रालय) इन विकास योजनाओं में आपदारोधी निर्माण दिशानिर्देशों को षामिल करने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं।

इसलिए आपदा जोखिम का न्यूनीकरण और दीर्घकालिक मानव विकास परस्पर सहायक लक्ष्य हैं जो गरीबी के न्यूनीकरण, समाज के सीमांत वर्गों के सशक्तीकरण और लैंगिक समभाव के लिए भी योगदान देते हैं। पूरे विश्व में उत्तरोत्तर योजना और वित्त मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र एवं गैरसरकारी संगठनों की सहायता के साथ आपदा प्रशमन के परिप्रेक्ष्य में विकास परियोजनाओं की गुण–दोष विवेचना कर रहे हैं और दीर्घकालिक विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपदा समुत्थान कार्यक्रमों की रूपरेखा बना रहे हैं। इसलिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को यथार्थवादी तरीके से हासिल करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण महत्त्वपूर्ण है।

vkink tkf[ke ic/ku d dN e[; :>ku D;k g\

रूझान में निम्नलिखित परिवर्तनों के माध्यम से आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विधियों के विकास को देखा जा सकता हैः

ifrfØ;k l rRijrk यह रूझान 1990 के दशक में उभरा था। यह स्वीकार किया जा चुका है कि यह सर्वाधिक लागत–फलकारी है, मानव जीवन और वित्तीय संसाधनों दोनों मायनों में प्रतिक्रिया की बजाय आपदा तत्परता और प्रशमन में निवेश करना। वैज्ञानिक अध्ययनों के जरिये भी यह सिद्ध हो चुका है कि आपदा राहत एवं प्रतिक्रिया की तुलना में तत्परता और प्रशमन की वित्तीय लागत कम है। उदाहरणार्थ, भूकंप संरक्षा मानदंडों (प्रशमन) को पूरा करने के लिए एक इमारत की रेट्रोफिटिंग की लागत उस इमारत की लागत के औसतन 2 से 5 प्रतिशत के बीच रहती है। भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त इमारत के पुननिर्माण की लागत इमारत की लागत जमा 2 से 5 प्रतिशत है।

vkikrdky ic/ku l tkf[ke U;wuhdj.k यह रूझान भी 1990 के दशक में ऐसे षोध अध्ययनों के साथ उभरा था जिन्होंने आपदाओं और विकास के बीच गहरा संबंध प्रदर्शित किया। साझेदारों ने विकाय नियोजन एवं तंत्रों की मुख्य धारा में आपदा जोखिम विषयों को षामिल करते हुए अपनी कार्य परिधि को आपातकाल प्रबंधन से आगे बढ़ाया।

vkink tkf[ke ic/ku e dN mHkjrh gb i)fr;k आपदा प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक सर्वसम्मिलित और व्यापक विधि का समर्थन करना है। संपूर्ण जोखिम प्रबंधन, व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन जैसी अवधारणाओं का समर्थन किया गया है। कुछेक वर्तमान पहलकदमियों में निम्न षामिल हैंः

(क) समुदाय–आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (सी.बी.डी.आर.एम.), इसे वर्तमान में स्थानीय स्तर जोखिम प्रबंधन (एल.एल.आर.एम.) के नाम से अधिक जाना जाता है।

(ख) सांस्थानिक और वैधानिक व्यवस्था (आई.एल.एस.) का निर्माण।

(ग) आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए और में क्षमता का विकास।
(घ) विकास योजनाओं एवं नीतियों की मुख्य धारा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण दर्षष्टिकोणों को षामिल करना।
(ङ) आपदा आंकड़ों, सूचना और ज्ञान का प्रबंधन
(च) एशिया में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग व्यवस्थाएं
(छ) बीमा और जोखिम अंतरण तंत्र
(ज) स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर जोखिम मापचित्रण
(झ) समुत्थान नियोजनः आपदा–पूर्व समुत्थान योजनाएं, षीघ्र समुत्थान के लिए समूह विधि
(ञ) अन्य संगत क्षेत्रों जैसे टकराव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, लिंग और जीविकाओं के साथ संबंध तलाशना।

Hkkjr esa vkink tkf[ke U;wuhdj.k dh fn'kk esa ifjorZu

अतीत में ऐसी आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों पर मामूली ध्यान दिया गया है जो सरल निरोधक पूर्वोपाय अपनाकर हजारों जीवनों की रक्षा करने की संभावना रखती हैं। "योकोहामा घोषणा" के चलते 1990 के दशक में वैश्विक परिदष्श्य के पुनरीक्षाओं ने भी इस सच्चाई को परिलक्षित किया था कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आर्थिक हानियां बढ़ रही थीं। सामंजस्यपूर्ण आपदा न्यूनीकरण नीतियों का अभाव और 'रोकथाम की संस्कृति' की गैर–मौजूदगी की इस क्षोभजनक घटना के प्रमुख कारणों के रूप में पहचान की गई थी। आपदा जोखिम न्यूनीकरण (आपदा न्यूनीकरण) की परिभाषा 'दीर्घकालिक विकास के बष्हत परिप्रेक्ष्य में एक पूरे समाज में अतिसंवेदनशीलताओं, जोखिमों और आपदा के प्रकट होने को न्यूनतम करने के लिए नीतियों, रणनीतियों एवं पद्धतियों की सुव्यवस्थित विकास एवं क्रियान्वयन' के रूप में दी गई है। 4 आपदा न्यूनीकरण की नीतियों में जोखिमों की संभाव्यता एवं उग्रता का मूल्यांकन और समुदाय की तत्संबंधी अतिसंवेदनशीलता का विश्लेषण षामिल है। सांस्थानिक क्षमताओं और सामुदायिक तत्परता का निर्माण अगला चरण है। बहरहाल, इन सभी प्रयासों के लिए समाजों में 'संरक्षा संस्कृति' की मौजूदगी महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसे इन्पुट अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसी तत्परता एक 'एकबारगी' प्रयास नहीं हो सकती है बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है।

परंपरागत रूप से भारत अपनी अनूठी भौगोलिक–जलवायु परिस्थिति के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील रहा है। बाढ़, अकाल, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन आवर्ती घटनाएं हैं। लगभग 60 प्रतिशत भूमि विभिन्न उग्रता वाले भूकंप संभाव्य है; 4 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि बाढ़ संभाव्य है; कुल क्षेत्रफल का लगभग 8 प्रतिशत चक्रवात संभाव्य है और 68 प्रतिशत क्षेत्रफल अकाल संभाव्य है। 1990–2000 के दशक में प्रत्येक वर्ष आपदाओं के कारण औसतन लगभग 4344 लोग मारे गए और लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए। निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मायनों में हानि विशालकाय रही है।

वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं पर भारी चिंता की जाती रही है। हालांकि उल्लेखनीय वैज्ञानिक एवं भौतिक प्रगति हो चुकी है, फिर भी आपदाओं के कारण जान–माल की क्षति कम नहीं हुई है। वास्तव में मानव मष्त्यु और आर्थिक हानि बढ़ी है। इसी पष्ठभूमि में 1989 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने संगठित अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के माध्यम से विशेषकर विकासशील देशों में जान–माल की क्षति को कम और सामाजिक–आर्थिक हानि को सीमित करने के उद्देश्य से 1990–2000 को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया था।

अक्टूबर 1999 में उड़ीसा के महाचक्रवात और जनवरी 2001 में गुजरात के भुज भूकंप ने विविध वैज्ञानिक, इंजीनियरी एवं सामाजिक प्रक्रियाओं को षामिल करते एक बहुआयामी प्रयास को अपनाने; बहुविभागीय एवं बहुक्षेत्रक विधि को अपनाने तथा विकास योजनाओं एवं नीतियों में जोखिम न्यूनीकरण को षामिल करने की जरूरत को रेखांकित किया था।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए अपनी नीति में एक व्यावहारिक परिवर्तन किया है। नई विधियों में आपदा प्रबंधन विकास प्रक्रियाओं का भाग है और प्रशमन में निवेश राहत एवं पुनर्स्थापन व्यय से कहीं अधिक लागत–फलकारी है। अब सांस्थानिक परिवर्तनों, नीति के प्रतिपादन, प्रशमन एवं तत्परता गतिविधियों के लिए वित्तपोषण तंत्र और सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के माध्यम से इसका निवारण करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। सर्वोपरि यह है कि सामुदायिक तत्परता और उनकी सहभागिता बहुधा प्रकट होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानि को न्यूनतम बनाने के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थी।

भारत में आपदा प्रबंधन – *एक स्थिति रिपोर्ट* इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि विकास प्रक्रिया में आपदा प्रशमन को अंतःनिर्मित किए बिना विकास दीर्घकालिक नहीं हो सकता है। इस विधि का एक दूसरी नींव–शिला यह है कि प्रशमन बहुविषयक होना चाहिए जो विकास के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो। यह नई नीति भी इस निवेश से उपजी है कि प्रशमन में निवेश राहत एवं पुनर्स्थापन पर व्यय से कहीं अधिक लागत–फलकारी है।

इस देश के नीतिगत ढांचे में आपदा प्रबंधन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि महाविपत्तियों/आपदाओं के कारण गरीब और वंचित लोग ही सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का उद्भव उपर्युक्त रेखांकित विधि से हुआ है। यह विधि एक राष्ट्रीय आपदा ढांचे (एक रोडमैप 2002–2003) में रूपांतरित हुई जो सांस्थानिक तंत्रों, आपदा प्रबंधन नीति, शीघ्र चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रशमन, तत्परता एवं प्रतिक्रिया और मानव संसाधन विकास को शामिल करता है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्रत्याशित इन्पुट, हस्तक्षेप के क्षेत्रों और षामिल की जाने वाले एजेंसियों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें रोडमैप में सूचीबद्ध किया गया है। सभी राज्य सरकारों और संघशासी क्षेत्रों को यह रोडमैप सूचित किया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघशासी क्षेत्र प्रशासनों के मंत्रालयों और विभागों को राष्ट्रीय रोडमैप का एक मोटे दिशानिर्देश के रूप में लेते हुए उनका संबंधित रोडमैप तैयार

करने के लिए कहा गया है। इसलिए सभी सहभागी संगठनों/साझेदारों द्वारा कार्यवाही को आधार प्रदान करते हुए एक सर्वनिष्ठ नीति अपनाई जा रही है। परिवर्तित विधि को निम्न के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा हैः

(क) सांस्थानिक बदलाव

(ख) नीति का प्रतिपादन

(ग) विधायी और तकनकी–विधायी ढांचा

(घ) प्रशमन को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में षामिल करना

(ङ) वित्तपोषण तंत्र

(च) प्रशमन का निवारण करने वाले विनिर्दिष्ट योजनाएं

(छ) तत्परता पूर्वोपाय

(ज) क्षमता निर्माण

(झ) मानव संसाधन विकास और, सर्वोपरि, सामुदायिक सहभागिता।

Hkkjr ljdkj dk jk"Vªh; vkink izca/ku <kapk ¼2002&2003 esa cuk;k x;k½

1- lkaLFkkfud r=%

iR;kf'kr ifj.kke	gLr{ksi dk {ks=	'kkfey dh tkus okyh ,tsfl;ka@{ks= vkSj lalk/ku Üks[kyk
उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी	(i) उपयुक्त विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक षक्तियों के साथ राष्ट्रीय आपातकाल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन। (ii) एन.ई.एम.ए. की भूमिकाएं और उत्तरदायित्वः - बहुल जोखिमों, प्रशमन, रोकथाम, तत्परता और प्रतिक्रिया कार्यक्रमों का समन्वय करना।	स्वास्थ्य, जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन, कृषि, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, रसायन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय/विभाग आदि।

	- आपदा जोखिम न्यूनीकरण ओर प्रशमन के लिए नीतियाँ - सभी स्तरों पर तत्परता। - प्रतिक्रिया का समन्वय। - आपदा उपरांत राहत एवं पुर्नस्थापन का समन्वय। - वर्तमान कानूनों, पद्धतियों, अनुदेशों का संशोधन।	
आपदा प्रबंधन के राज्य विभागों का सृजन	प्रशमन, रोकथाम एवं तत्परता को शामिल करने के लिए उत्तरदायित्व के वर्धमान क्षेत्रों के साथ राहत एवं पुनर्स्थापन के विभागों को आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में नामजद्द किया जाए।	राज्य सरकार/संघशासी क्षेत्र प्रशासन।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना	(i) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाए। (ii) प्राधिकरण नीतियाँ निर्धारित करेगा और प्रशमन, रोकथाम एवं तत्परता की निगरानी और प्रतिक्रिया की भी देखरेख करेगा।	कृषि, हृह, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, स्वास्थ्य, सड़क एवं परिवहन, नागरिक आपूर्ति, पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण विकास, शहर विकास मंत्रालय और सदस्य के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग।
2- vkink i'keu@jkdFkke%		
आपदा प्रशमन/रोकथाम को विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल किया जाए।	(i) प्रशमन/रोकथाम में एक भूमिका रखने वाला प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रशमन/रोकथाम का निवारण करने वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त परिव्ययों की व्यवस्था करेंगे।	भारत सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग/संघशासी क्षेत्र प्रशासन

	(ii) जहां परियोजनाओं/योजनाओं की सूची मौजूद है, वहां प्रशमन में अंशदान देने वाली परियोजनाओं/योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।	
	(iii) जहां कहीं संभव हो, भारत सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग/संघशासी क्षेत्र प्रशासन प्राकृतिक आपदा संभाव्य क्षेत्रों में 48 योजनाओं/परियोजनाओं की रूपरेखा इस तरह बनाई जाए कि प्रशमन और तत्परता में अंशदान किया जा सके।	
	(iv) अतिसंवेदनशील क्षेत्रों/प्राकृतिक आपदा संभाव्य क्षेत्रों में परियोजनाओं की रूपरेखा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए बनाई जाए।	
तकनीकी–विधायी शासन–प्रणाली	(i) भवन संहिताओं की नियमित समीक्षा और उनका प्रचार।	भारतीय मानक ब्यूरो/शहर विकास मंत्रालय
	(ii) भूकंपीय क्षेत्र III, IV और V में बी.आई.एस. संहिताओं/राष्ट्रीय भवन संहिताओं के अनुसार निर्माण।	राज्य शहर विकास विभाग/शहरी स्थानीय निकाय
	(iii) चक्रवात संभाव्य क्षेत्रों में निर्माण को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाए कि वह बी.आई.एस. संहिताओं/राष्ट्रीय भवन संहिताओं के अनुरूप हवा जोखिम का सामना कर सके।	राज्य शहर विकास विभाग/शहरी स्थानीय निकाय राज्य शहर विकास विभाग/शहरी स्थानीय निकाय

	(iv) निम्न की व्यापक समीक्षा एवं अनुपालन - नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम - विकास नियंत्रण विनियम - नियोजन एवं भवन मानदंड विनियम (v) उपयुक्त तकनीकी–विधायी शासन–प्रणाली को स्थापित करना। (vi) तकनीकी–विधायी शासन–प्रणालियों का अनुपालन लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता संवर्धन।	राज्य शहर विकास विभाग/ शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकारें
भूमि उपयोग नियोजन और परिक्षेत्रीकरण विनियम	(i) भूमि उपयोग नियोजन और परिक्षेत्रीकरण विनियमों के लिए विधायी ढांचे की समीक्षा की जाए।	शहर विकास मंत्रालयभूमि संसाधन विभागवन एवं पर्यावरण मंत्रालय (भारत सरकार)राज्य सरकारें
अतिसंवेदनशीलता न्यूनीकरण और तत्परता के लिए योजनाएं बनाना	(ii) परिक्षेत्रीकरण विनियमों को लागू किया जाए। राज्य सरकारें योजनाएं बनाएं और योजना आयोग को प्रस्तुत करें	राज्य सरकारें

3- fo/kk;h@jktuhfrd <kpk

आपदा प्रबंधन को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–III (समवर्ती सूची) में षाामिल किया जाए।	(i) विधेयक का प्रारूप बनाया जाए।	

राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति	(ii) विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।	गृह मंत्रालय / विधि मंत्रालय (विधायी विभाग
राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम	निदर्श अधिनियम राज्यों को परिपत्रित किया जाए। (i) आपदा प्रबंधन को नियोजन एवं विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में षामिल किया जाए। (ii) सुरक्षित निर्माण अनिवार्य बनाया जाए। (iii) नीति के अनुसार सभी संबंधित विभागों द्वारा समन्वित कार्यवाही।	गृह मंत्रालय राज्य सरकारें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ग्रामीण विकास, षहर विकास और अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श किया जाए।
राज्यों द्वारा आपदा प्रबंधन संबंधी नीति का प्रतिपादन	(i) आपदा प्रबंधन को नियोजन एवं विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में षामिल किया जाए। (ii) सुरक्षित निर्माण अनिवार्य बनाया जाए। (iii) नीति के अनुसार सभी संबंधित विभागों द्वारा समन्वित कार्यवाही।	राज्य सरकारें
राज्य आपदा प्रबंधन संहिताए	समुदाय से राज्य तक सभी स्तरों पर प्रशमन, तत्परता और नियोजन पूर्वोपायों को षामिल करने के लिए वर्तमान राहत संहिताओं / अभावग्रस्तता संहिताओं / अकाल संहिताओं का संशोधन, आपातकाल सहायता दलों / आपदा प्रबंधन	राज्य सरकारें

	दलों/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन, आपदायी घटना प्रबंधक आदि को प्रशासनिक एवं वित्तीय षक्तियों का प्रत्यायोजन, संसाधनों और योजनाओं की वस्तुसूची अद्यतन करने का नयाचार।	

4- rRijrk vkj ifrfØ;k

राष्ट्रीय आपातकाल प्रतिक्रिया बल/विशेषज्ञ प्रत्युत्तर दल	(i) विशेषज्ञ प्रत्युत्तर दलों में परिवर्तन हेतु इकाइयों को नामजद करना। (ii) प्रशिक्षण केंद्रों का पदनाम। (iii) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।(iv) उपस्कर की खरीद। (v) दलों का प्रशिक्षण।	गृह मंत्रालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/ भारत–तिब्बत सीमा पुलिस/ सीमा सुरक्षा बल/केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल
राज्य स्तर पर विशेषीकृत प्रत्युत्तर दल	(i) विशेषज्ञ प्रत्युत्तर दलों में परिवर्तन हेतु इकाइयों को नामजद करना। (ii) प्रशिक्षण केंद्रों का पदनाम। (iii) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। (iv) सी.आर.एफ. संसाधन प्रयोग करते हुए उपस्कर की खरीद। (v) दलों का प्रशिक्षण।	राज्य आपदा प्रबंधन विभाग/ राज्य गृह विभाग राज्य पुलिस प्रशिक्षण कालेज/ राज्य अग्नि प्रशिक्षण संस्थान

vkikrdky ipkyu dnk dk jk"Vh; uVod ¼,u-,u-b-vk-lh-½

राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल प्रचालन केंद्र (ई.ओ.सी.) की स्थापना	(i) बहुआपदा रोधी निर्माण। (ii) संचार प्रणाली श्रृंखलाएं। (iii) आपदा स्थल सूचना प्रबंधन के लिए सचल ई.ओ.सी.	केंद्रीय लोक निर्माण विभागकेंद्रीय निर्माण विभागगृह मंत्रालय
	(i) बहुआपदा रोधी निर्माण। (ii) संचार प्रणाली श्रृंखलाएं। (iii) आपदा स्थल सूचना प्रबंधन के लिए सचल ई.ओ.सी.	राज्य सरकारें
जिला स्तरीय ई.ओ.सी.	(i) बहुआपदा रोधी निर्माण। (ii) संचार प्रणाली श्रृंखलाएं।	राज्य सरकारें
घटना कमांड तंत्र को स्थापित करना	(i) नोडल प्रशिक्षण केंद्रों को नामजद्द करना। (ii) घटना कमांड तंत्र के लिए नयाचार/मानक कार्य पद्धतियों को स्थापित करना।	गृह मंत्रालय/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी/राज्य सरकारें/प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
आपातकाल सहायता कार्य योजना	(i) आपातकाल सहायता कार्य करने वाले विभाग/एजेंसियां आपातकाल सहायता कार्य योजनाएं बनाएंगे, दल गठित करेंगे और संसाधनों को पहले से अलग रखेंगे ताकि आपदा उपरांत तत्पर प्रतिक्रिया हो।	केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागराज्य सरकारें

भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क	(i) एक वेब साधित जी.आई. एस. आधारित संसाधन वस्तुसूची जिसमें पूरे देश में जिला और राज्य स्तर पर आपातकाल प्रतिक्रिया हेतु उपलब्ध सभी आवश्यक संसाधनों को सूचीबद्ध किया गया हो ताकि संसाधनों को अल्प सूचना पर जुटाया जा सके। (ii) सर्वरों की स्थापना, प्रोग्राम बनाना एवं संस्थापना, इन्पुट डाटा। (iii) अर्धवार्षिक अद्यतनीकरण।	गृह मंत्रालयराज्य सरकारें
संचार श्रष्खलाएं जो आपदा उपरांत भी कार्य करें	(i) संचार योजना बनाना। (ii) स्वीकृतियां प्राप्त करना। (iii) संचार नेटवर्क स्थापित करना।	गृह मंत्रालय पुलिस बेतार का समन्वय राज्य सरकारें
क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र	(i) क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्रों के स्थल की पहचान करना। (ii) अपेक्षित उपस्कर भंडारों की पहचान करना। (iii) स्वीकृतियां प्राप्त करना। (iv) दलों और उपस्करों के भंडार को स्थलों पर तैनात करना।	गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल/भारत–तिब्बत सीमा पुलिस/केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल/केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

प्रतिक्रिया में प्रशिक्षण को सी. पी.एम.एफ. और राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।	(i) मॉड्यूल तैयार करना। (ii) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना।	गृह मंत्रालय राज्य सरकारें
राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं	(i) मुख्य सचिव की देखरेख में योजना का प्रारूप बनाया जाए। (ii) योजना में प्रशमन, तत्परता और प्रतिक्रिया के घटक षामिल होंगे। (iii) योजना बहुविभागीय होगी जिसे प्रशमन, तत्परता एवं प्रतिक्रिया सहित सर्वसंबंधित संगत विभागों के संयोजन/परामर्श के साथ बनाया जाए। (iv) योजना को एक वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाए।	राज्य सरकारें/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी
जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं	(i) जिला मजीस्ट्रेट/कलक्टर की देखरेख में बनाई जाए और प्रशमन, तत्परता एवं प्रतिक्रिया को शामिल किया जाए। (ii) विभिन्न विभागों द्वारा आपातकाल सहायता को शामिल किया जाए। (iii) सर्वसंबंधित विभागों के परामर्श से बनाया जाए।	राज्य सरकारें/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी

	(iv) संसाधनों की जिला वस्तुसूची रखी जाए।	
ब्लाक आपदा प्रबंधन योजनाएं	(i) जिला मजीस्ट्रेट/कलक्टर की देखरेख में बनाई जाए और प्रशमन, तत्परता एवं प्रतिक्रिया को शामिल किया जाए। (ii) विभिन्न विभागों द्वारा आपातकाल सहायता को शामिल किया जाए। (iii) सर्वसंबंधित विभागों के परामर्श से बनाया जाए। (iv) संसाधनों की जिला वस्तुसूची रखी जाए।	राज्य सरकारें/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी/ब्लाक विकास प्रशासन
'kh?k prkouh i.kkfy;k¡		
(i) आधुनिकतम संवेदक स्थापित किया जाएंगे।	(i) भारतीय मौसम विभाग/केंद्रीय जल आयोग उपलब्ध संवेदकों की समीक्षा करेगा और प्रणाली के सुदष्ढ़ीकरण की योजनाएं बनाएगा।	भारतीय मौसम विभाग/केंद्रीय जल आयोग/राष्ट्रीय मध्यकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र
(ii) आपदा निगरानी, पता लगाना एवं प्रतिरूपण। चेतावनी नयाचार	(ii) पूर्वानुमान परिशुद्धता सधारने के लिए मॉडलों को अद्यतन किया जाएगा।	
चेतावनी नयाचार	(i) चेतावनी नयाचार उपयोगकर्ता हितैषी होगा। (ii) चेतावनियाँ यथांसभव शीघ्र राज्यों/जिलों/समुदाय को सूचित की जाएंगी।	गृह मंत्रालय/राज्य सरकारें/ भारतीय मौसम विभाग/केंद्रीय जल आयोग/राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी/सूचना एवं प्रसारण/ दूरदर्शन/अखिल भारतीय रेडियो

	(iii) नयाचार समझने के लिए सरल होना चाहिए।	
	(iv) जिले समुदाय को शीघ्र चेतावनी सूचित करने का नयाचार स्थापित करेंगे।	
	(v) शीघ्र चेतावनी संचार के लिए पंचायतों/स्थानीय निकायों को प्रयोग किया जाएगा।	
	vi) शीघ्र चेतावनी के लिए संचार शृंखलाएं।	
ekuo lalk/ku fodkl vkj {kerk fuekZk.k		
प्रशमन, तत्परता और प्रतिक्रिया में शामिल सेवाओं/संगठनों/एजेंसियों का प्रशिक्षण	(i) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विश्लेषण/मानव संसाधन विकास योजना।	गृह मंत्रालय राज्य सरकारें
	(ii) प्रशिक्षण के लिए कैप्सूल पाठ्यक्रम तैयार करना।	
	(iii) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।	
	(iv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।	
	(iv) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में आपदा प्रबंधन की राज्य सुविधाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण।	

आई.ए.एस./आई.पी.एस., राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों/राज्य पुलिस का प्रशिक्षण	(i) आई.ए.एस./आई.पी.एस., राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों/राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन के कैप्सूल षामिल किये जाएंगे। (ii) ब्लाक/ग्राम स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण। (iii) पंचायती राज संस्थाओं का प्रशिक्षण।	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान/राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस्तेमाल किये जाएंगे।
इंजीनियर/वास्तुकार	स्नातकपूर्व और वास्तुशास्त्र उपाधि पाठ्यक्रमों को सामान्यतः प्रशमन प्रौद्योगिकियों और खासतौर पर भूकंप इंजीनियरी को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाएगा।	राज्य सरकारेंअखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान व्यवसायी निकाय
स्वास्थ्य व्यवसायी	एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में संकट रोकथाम, प्रतिक्रिया और समुत्थान प्रबंधन तथा अभिघात प्रबंधन को षामिल किया जाएगा।	स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय परिवार कल्याण चिकित्सा परिषद
युवा संगठन	एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट एवं गाइड अपने अधिमुखता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रतिक्रिया, खोज एवं बचाव को शामिल करेंगे।	युवा एवं क्रीड़ा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय
राजगीर	सुरक्षित निर्माण के लिए राजगीरों का प्रशिक्षण	ग्रामीण विकास मंत्रालय/शहर विकास विभाग/राज्य सरकारें

विद्यालय पाठ्यक्रम	आपदा जागरुकता को शामिल किया जाएगा।	केंद्रीय एवं राज्य शिक्षा बोर्ड
जागरुकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय जन मीडिया अभियान	जागरुकता अभियान के लिए एक संचखर नीति की रूपरेखा बनाना एवं तैयार करना।	गृह मंत्रालय/राज्य सरकारें
	जागरुकता अभियान को क्रियान्वित करने के लिए श्रव्य, दृश्य और मुद्रण माध्यम का प्रयोग	गृह मंत्रालय/राज्य सरकारें
	प्रशमन, तत्परता और प्रतिक्रिया के संबंध में संसाधन सामग्रियों का विकास	गृह मंत्रालय
जागरुकता पैदा करने में षामिल गैर–सरकारी, समुदाय आधारित संगठन और आपदा तत्परता एवं प्रशमन नियोजन में समुदायों की सहभागिता	(i) राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरों पर गैर–सरकारी, समुदाय– आधारित संगठनों का नेटवर्क साध्य बनाना।	गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
	(ii) सभी स्तरों पर नियोजन प्रक्रिया और प्रतिक्रिया तंत्रों में सहयोजित किया जाए।	गृह मंत्रालय/ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
जागरुकता पैदा करने तथा आपदा तत्परता एवं प्रशमन नियोजन में षामिल कार्पोरेट क्षेत्र	नियोजन प्रक्रिया और प्रतिक्रिया तंत्रों में कार्पोरेट क्षेत्र और उनके नोडल निकायों का संवेदीकरण, प्रशिक्षण और सहयोजन	गृह मंत्रालय/भारतीय उद्योग परिसंघ
आपातकाल के दौरान संसाधनों तथा सबकों के आदान–प्रदान के लिए अंतरा–राज्य व्यवस्थाएं	(i) संसाधनों के अंतर–राज्य आदान–प्रदान के लिए व्यवस्थाओं को राज्य आपदा	गृह मंत्रालय/राज्य सरकारें

	प्रबंधन योजनाओं में षामिल किया जाएगा।	
	(ii) अन्य राज्यों के अनुभव से सीखने के लिए अंतर–राज्य प्रदर्शन मुलाकातों को साध्य बनाया जाएगा।	गृह मंत्रालय / राज्य सरकारें

'kk/k ,o Kku i:c/ku%

ज्ञान और राष्ट्रीय रोडमैप पर कार्य करने की प्रक्रिया में सीखे गए सबकों को संस्थापन करना	(i) चालू कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की गुण–दोष विवेचना एवं मूल्यांकनमुख्य सबकों का नियमित दस्तावेजीकरण	गृह मंत्रालयराज्य सरकारें / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
	(ii) संस्थाओं और संगठनों के बीच सूचना एवं ज्ञान को एकत्र करने एवं आदान–प्रदान करने के लिए भारतीय आपदा प्रबंधन संसाधन नेटवर्क को सर्वसंबंधित ज्ञान पोर्टल के रूप में स्थापित करना।	गृह मंत्रालय
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय, राज्य एवं क्षेत्रीय संस्थानों में षोध को प्रोत्साहित करना	(i) आवास, सड़कों और पुलों, जल आपूर्ति और मलव्ययन प्रणालिनयों, बिजली जनोपयोगी सेवाओं के लिए प्रमशन तकनीकें	केंद्र सरकार के मंत्रालय / विभाग
	(ii) आपदा उपरांत परिस्थितियों में अस्थायी और पारवहन आश्रय में विशेषीकृत द्रुत प्रतिक्रिया एवं तत्परता के लिए लागत–फलकारी उपस्कर	

राष्ट्रीय आपदा डाटाबेस तैयार करना	(i) आपदाओं का सुव्यवस्थित वस्तुसूचीकरण	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
	(ii) रूझान विश्लेषण और सूचना प्रणाली	

jk"Vªh; uhfrxr <kapk

राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा यथोचित विचार–विमर्श के बाद और 'आपदा प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण, अग्रसक्रिय, बहुआपदा एवं प्रौद्योगिकी–चालित रणनीति तैयार करके एक सुरक्षित और आपदा समुत्थानशील भारत का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्वप्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसे रोकथाम, प्रमशन की संस्कृति और आपदाओं के समय एक तत्पर एवं कुशल प्रतिक्रिया का सष्जन करने हेतु तत्परता के माध्यम से हासिल किया जाएगा। समूची प्रक्रिया में समुदाय को केंद्र में रखा जाएगा और सभी सरकारी एजेंसियों और गैर–सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से संवेग और दीर्घकालिकता उपलब्ध कराई जाएगी।' इस स्वप्न को नीति एवं योजनाओं में रूपांतरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर कार्यशील विभिन्न संस्थानों की मदद के साथ अनेक पहलकदमियों को षामिल करते हुए एक मिशन–प्रकार विधि अपनाई गई है। नीतियों एवं दिशानिर्देश विकसित करने की सहभागितापूर्ण एवं परामर्श प्रक्रिया में विभिन्न साझेदारों सहित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों को षामिल किया गया है। यह नीतिगत ढांचा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण नीति, रियो घोषणा, सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों और हियागो ढांचा 2005–2015 के अनुरूप भी है। इस नीति को आधार प्रदान करने वाले विषय इस प्रकार हैं:–

- नीति, योजनाओं एवं निष्पादन का अंत तक एकीकरण सहित समुदाय–आधारित आपदा प्रबंधन।
- सर्वसंबंधित क्षेत्रों में क्षमता विकास।
- विगत पहलकदमियों और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का सुदष्ढ़ीकरण।
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर एजेंसियों के साथ सहयोग।
- बहुक्षेत्रक सामंजस्यता का सष्जन करने के लिए अनुपालन एवं समन्वय।

राष्ट्रीय स्वप्न और उपर्युक्त विषय से नीति तैयार करने वाले उद्देश्यों को निम्नलिखित शामिल करने के लिए विकसित किया गया है:

- रोकथाम एवं तत्परता की संस्कृति का प्रोत्साहन – सभी स्तरों पर और हर समय आपदा प्रबंधन को एक अध्यारोही प्राथमिकता के रूप में केंद्रीय भूमिका प्रदान करके।
- आधुनिकतम प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय दीर्घकालिकता के आधार पर प्रशमन पूर्वोपायों को प्रोत्साहित करना।

- आपदा प्रबंधन विषयों को विकास नियोजन प्रक्रिया की मुख्य धारा में शामिल करना।
- एक सहायक विनियामक परिवेश और एक अनुपालन शासन–प्रणाली की पूर्णता का सृजन एवं संरक्षण करने के उद्देश्य से एक सुचारू सांस्थानिक तकनीकी–विधायी ढांचा यथास्थान स्थापित करना।
- समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना जिसे प्रतिक्रियाशील और विफलता–संरक्षित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का समर्थन हासिल हो।
- जागरुकता पैदा करने तथा क्षमता विकास के क्षेत्रों में मीडिया, गैर–सरकारी संगठनों और कार्पोरेट क्षेत्र के साथ एक लाभप्रद साझेदारी को प्रोत्साहन देना।
- समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के प्रति ध्यान रखने वाली मानवीय विधि के साथ कुशल प्रतिक्रिया एवं राहत सुनिश्चित करना।
- पुनर्निर्माण को वापस बेहतर एवं आपदा–समुत्थानशील संरचनाओं एवं आवासों का निर्माण करने के लिए एक अवसर बनाना।

vkink ic/ku vf/kfu;e

सरकार ने आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने एवं उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने, आपदाओं की रोकथाम एवं प्रशमन प्रभावों के लिए सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा पूर्वोपाय सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपदायी परिस्थिति के लिए एक संपूर्ण, समन्वित एवं तत्पर प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आपदा प्रबंधन के संबंध में एक कानून बनाने का विनिश्चय किया था। तत्पश्चात, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया और 26 दिसंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना; मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता में राज्यों/संघशासी क्षेत्रों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण; और प्रत्येक जिले में जिला मजीस्ट्रेट के अधीन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन संबंधी सभी गतिविधियों के लिए जिला नियोजन, समन्वय और क्रियान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा। इन कार्यों में प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्स्थापन के अलावा प्रशमन और तत्परता षामिल हैं।

स्थानीय प्राधिकरण को एक मुख्य भूमिका सौंपी गई है यथा उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण; संसाधनों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना ताकि एक आपदा के मामले में ये तत्काल उपलब्ध हों और सुनिश्चित करना कि उनके क्षेत्राधिकार में सभी निर्माण

परियोजनाएं निर्धारित मानदंडों और विशिष्टियों के अनुरूप हों। स्थानीय प्राधिकरण प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य भी संपन्न करेगा।

अधिनियम से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया निधि और आपदा प्रशमन निधि की स्थापना अभिप्रेत है। यह अनिवार्य करता है कि पीड़ितों को मुआवजा और राहत उपलब्ध कराते समय लिंग, जाति, समुदाय, वंश या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आपदा प्रबंधन साध्य बनाने एवं उसमें सहायता करने के लिए सरकारी प्राधिकरणों, संगठनों और सांविधिक निकायों को निर्देश जारी करने की षक्तियाँ केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं। अधिनियम में प्रतिक्रिया में बाधा पहुंचाने, गलत दावा करने, धन या सामग्री के गबन और गलत चेतावनी जारी करने के लिए दंड का प्रावधान करने की वांछा की गई है। बहरहाल, यह नेकनीयती के साथ किए गए कार्यों के लिए सरकारी संगठनों और अधिकारियों को उन्मुक्ति प्रदान करता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधिनियमित होने के साथ अब सरकार ने सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखने, आपदाओं की रोकथाम एवं प्रशमन प्रभावों के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा पूर्वोपाय सुनिश्चित करने तथा एक आपदायी परिस्थिति में एक संपूर्ण, समन्वित एवं तत्पर प्रतिक्रिया षुरू करने के लिए अपेक्षित सांस्थानिक तंत्र स्थापित कर दिया है। अधिनियम से आपदाओं के प्रशमन के लिए, आपदायी परिस्थितियों को संभालने के लिए तैयारी करने और अधिक कारगर प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए कारगर कदम उठाने में सहायता मिलेगी। अधिनियम से राहत–केंद्रित विधि से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं की अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता के साथ एक संपूर्ण बहुविभागीय एवं बहुक्षेत्रक विधि की ओर अभिमुखता का बदलाव लाने के सरकार के संकल्प को सुस्थापित करना अभिप्रेत है।

संघीय राज्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में "सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा" के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है क्योंकि इससे राज्य सरकारों को भी स्वयं अपना कानून रखने की अनुमति की श्रेष्ठता हासिल होगी।

vf/kfu;e dh izeq[k fo'ks"krk,a

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत सदस्यों के रूप में अन्य मंत्रियों के साथ जिनकी संख्या नौ से अधिक नहीं हो और जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा यथानामित किया जाए, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करना।
- प्रधानमंत्री द्वारा एक सदस्य को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है।

- प्राधिकरण की सहायता सचिवों की एक कार्यपालक समिति करेगी जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन कर सकता है।
- आपदा प्रबंधन नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करना राष्ट्रीय प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा।
- प्रत्येक राज्य/संघशासी क्षेत्र में मुख्यमंत्री/उपराज्यपाल, प्रशासक, जैसा भी मामला हो, की अध्यक्षता के अंतर्गत एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों को मुख्यमंत्री /उपराज्यपाल/प्रशासक द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
- राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियाँ और योजनाएं निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- उसकी सहायता एक राज्य कार्यपालक समिति करेगी। राज्य प्राधिकरण विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन कर सकता है, जब कभी वह आवश्यक समझे।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार विभागवार योजनाएं तैयार करना संबंधित मंत्रालयों/विभागों के लिए अनिवार्य होगा।
- राज्य सरकार अध्यक्ष के रूप में जिला मजीस्ट्रेट और सह–अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद के अध्यक्ष या जिला स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यपालक सदस्य के साथ, जैसा भी मामला हो, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करेगी।
- जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला नियोजन, समन्वय एवं क्रियान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला योजनाओं में प्रशमन और तत्परता पूर्वोपायों को षामिल करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे।
- केंद्र सरकार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कार्यवाही का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा सभी संसाधनों का अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा ताकि यह आपदा के मामले में उपयोग हेतु तत्काल उपलब्ध हो।
- स्थानीय प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके अंतर्गत निर्माण परियोजनाएं निर्धारित मानदंडों और विशिष्टियों का अनुपालन करती हैं।
- स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण गतिविधियों को संपन्न करेगा।
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) का गठन करेगी।

- एन.आई.डी.एम. आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण एवं षोध, आपदा प्रबंधन नीतियों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के सूचना आधार का दस्तावेजीकरण एवं विकास, रोकथाम तंत्र और प्रशमन पूर्वोपायों की योजना बनाएगा एवं प्रोत्साहन देगा।
- विशेषीकृत प्रतिक्रिया के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया जाएगा।
- केंद्र सरकार आपातकाल प्रतिक्रिया के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन करेगी।
- केंद्र सरकार प्रशमन परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि का गठन कर सकती है।
- राज्य सरकार राज्य स्तर और जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया निधि और आपदा प्रशमन निधि की स्थापना करेगी।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का प्रत्येक मंत्रालय/विभाग, आपदा प्रबंधन योजना में निर्धारित गतिविधियों को संपन्न करने के लिए अपने वार्षिक बजट में प्रावधान करेगा।
- विधेयक में प्रतिक्रिया को बाधित करने, गलत दावों, धन या सामग्रियों के गबन, गलत चेतावनी जारी करने के लिए दंड का प्रावधान है।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति को छोड़कर अपराधों के लिए कोई अभियोजन षुरू नहीं किया जाएगा।
- पीड़ितों को मुआवजा या राहत उपलब्ध कराते समय लिंग, जाति, समुदाय, वंश या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
- आपदा प्रबंधन में सहायता करने के लिए सरकारी प्राधिकरणों/संगठनों/सांविधिक निकायों को निर्देश जारी करने की षक्ति केंद्र सरकार के पास है।
- केंद्र सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा नेकनीयती के साथ किए गए कार्य के लिए उसकी रक्षा की जाएगी और किसी अदालत में कोई अभियोजन या मुकदमा नहीं चलेगा।
- अधिकारी उनकी आधिकारिक क्षमता के तहत सूचित या प्रसारित किसी भी चेतावनी के संबंध में कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्त होंगे।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

- एन.आई.डी.एम. अधिनियम द्वारा यथानिर्धारित अपने उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए विनियम बना सकता है।

vkink tkf[ke U;uhdj.k l tMh jk"Vh; uhfr;k vkj dk;Øe

समय के दौरान भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रति अपनी अभिमुखता को राहत–केंद्रित विधि से एक अग्रसक्रिय विधि में बदलकर और एक बहुविभागीय एवं पराक्षेत्रक विधि को अपनाकर संपूर्ण आपदा प्रबंधन के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को शुरू किया है। एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचा/रोडमैप तैयार किया गया है जिसमें सांस्थानिक, वैधानिक और नीतिगत ढांचों, आपदा की रोकथाम एवं प्रशमन, तत्परता एवं प्रतिक्रिया, आपातकाल प्रचालन केंद्रों की नेटवर्किंग, षीघ्र चेतावनी प्रणालियों, मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण तथा शोध एवं ज्ञान प्रबंधन को षामिल किया गया है।

योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में "आपदा प्रबंधन – विकास परिप्रेक्ष्य" के संबंध में एक अध्याय षामिल किया है जो आपदाओं पर विकास परिप्रेक्ष्य से नजर डालने तथा विकास परियोजनाओं में अंतर्निमित जोखिम न्यूनीकरण घटकों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की स्थापना की गई है और राज्य एवं जिला स्तर पर भी पूरक संरचना की संकल्पना की गई है। प्राधिकरण का लक्ष्य आपदा रोकथाम एवं प्रशमन को विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में एकीकृत करना तथा प्रशमन के लिए परियोजनाएं एवं योजनाएं बनाना और निधियों को अलग से चिह्नित करना है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का अधिनियमन संपूर्ण और समन्वित आपदा प्रबंधन पूर्वोपाय सुनिश्चित करने के लिए सांस्थानिक एवं समन्वय तंत्रों के लिए वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है। प्रशमन और तत्परता प्रयासों को सेवा प्रदान करते हेतु सांस्थानिक ढांचा उपलब्ध कराने के अलावा अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रतिक्रिया निधि और आपदा प्रशमन निधि की स्थापना को अनिवार्य बनाता है तथा षहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपता है। इस समय एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनाई जा रही है।

जोखिम न्यूनीकरण का लक्ष्य रखने वाली अनेक जोखिम–निर्दिष्ट परियोजनाएं एवं कार्यक्रम षुरू किए जा चुके हैं। जोखिम मूल्यांकन और प्रशमन नियोजन, तकनीकी–विधायी शासन–प्रणाली विकसित करने, भूमि उपयोग परिक्षेत्रीकरण आदि में सहायता करने के लिए भूकंप, चक्रवात और भूस्खलनों के संबंध में अलग–अलग राष्ट्रीय प्रमुख समूहों का गठन किया जा चुका है। आपदारोधी निर्माण पद्धतियों में इंजीनियरों, वास्तुकारों और राजगीरों के प्रशिक्षण

तथा भूकंप इंजीनियरी के घटकों को स्नातकपूर्व इंजीनियरी एवं वास्तुशास्त्र पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने सहित भूकंप और चक्रवात जोखिम प्रशमन का निवारण करने के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं। वर्तमान जीवनरेखीय अवसंरचना और महत्त्वपूर्ण स्थापनाओं का मूल्यांकन एवं रेट्रोफिटमेंट करने के लिए समकालिक प्रयास भी शुरू किए जा चुके हैं। आवास, सामुदायिक परिसंपत्तियों और अन्य भौतिक अवसंरचनाओं के निर्माण संबंधी विभिन्न विकास योजनाओं के दिशानिर्देशों को आपदा–समुत्थानशील बनाने के लिए उनकी समीक्षा की जा चुकी है।

आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षित संवर्ग विकसित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.डी.एम.ए) ने आपदा प्रबंधन हेतु एक राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास योजना तैयार की है। यह विभिन्न क्षेत्रों और साझेदारों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और पाठ्यक्रम विकसित करने में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता करने के साथ–साथ प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी संपन्न करता है।

सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहभागिता के साथ समुदाय–आधारित आपदा तत्परता (सी.बी.डी.पी.) और नियोजन पहलकदमियाँ शुरू की हैं। सी.बी.डी.पी. प्रक्रिया को प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, विशेषकर बहुआपदा संभाव्य क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सांस्थानिक रूप दिया जा रहा है। इसके साथ–साथ भूकंपीय क्षेत्र III, IV और V में पड़ने वाले शहरों में भूकंप अतिसंवेदनशीलता का भी निवारण किया जा रहा है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण चिंताओं के प्रति एक संवेदनशील पीढ़ी की रचना करने के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को भी षामिल किया गया है। साथ ही, इस विषय में मनोवृत्ति एवं कौशलों की रचना करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे में संकल्पना की गई है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रसार के लिए कार्पोरेट क्षेत्र, युवा स्वयंसेवी संगठनों, निर्माण उद्योग, व्यवसायी और क्षेत्रक संगठनों को षामिल करते हुए एक बहुल–साझेदार विधि को क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र की चिंताओं और जरूरतों का निवारण करने वाले निर्दिष्ट कार्य योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें उनकी संबंधित नोडल एजेंसियों/संगठनों के माध्यम से प्रचालित किया जा रहा है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने एक संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दल का गठन किया है जो आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों में राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के लिए समन्वित सहायता को, तथा अन्य साझेदारों के साथ सूचना के आदान–प्रदान को साध्य बनाता है।

vkink ic/ku & Hkkjr dh orZeku fLFkfr

भारत में बहुत लंबे अर्से से आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्स्थापन उपलब्ध कराने के मुद्दे के रूप में हाशिये पर रहा है। केंद्र सरकार में यह

विषय कृषि मंत्रालय के पास था, राज्यों में यह राजस्व या राहत विभागों का विषय था, जबकि जिलों में यह कलक्टरों के अनेक संकट प्रबंधन कार्यों में से एक था। बामुश्किल ही अर्थव्यवस्था और विकास पर आपदाओं के प्रभाव की जांच करने तथा यह जांच करने का कोई प्रयास किया गया था कि किस तरह अक्सर स्वयं विकास के फलस्वरूप आपदाएं प्रकट होती हैं, जैसा कि हाल ही में भारत के विभिन्न भागों में षहर में आई बाढ़ों ने दर्शाया है। देश के षीर्षास्थ नियोजन निकाय में गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, माइक्रो–क्रेडिट, सामाजिक और आर्थिक अतिसंवेदनशीलताओं आदि के संबंध में नीतियों और विभिन्न योजनागत योजनाओं का कार्यक्रम बनाने में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बामुश्किल ही विचार–विमर्श किया गया है। दीर्घकालिक विकास के लिए सभी स्तरों पर विकास नियोजन की प्रक्रिया की मुख्यधारा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को षामिल करने की देश की प्रतिबद्धता को, जैसा कि *हियागो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 2005–15: आपदाओं के लिए राष्ट्रो और समुदायों की समुत्थान–शक्ति का निर्माण करना* में उल्लेख किया गया है, वांछित परिणाम हासिल करने के लिए कार्यशील परियोजनाओं हेतु सभी क्षेत्रों तक आगे नहीं पहुंचाया गया है।

nloh ;ktuk dk l=hdj.k

दसवीं पंचवर्षीय योजना ने, जिसे उड़ीसा के महाचक्रवात, गुजरात के भूकंप और प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक समाप्त होने की पष्ठभूमि में बनाया गया था, पहली बार आपदा प्रबंधन को एक विकास समस्या के रूप में स्वीकार किया था। योजना प्रलेख में न केवल आपदा प्रबंधन के संबंध में अलग अध्याय को षामिल किया गया, बल्कि इसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास की मुख्य धारा में षामिल करने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश भी दिए।

आपदा प्रबंधन के संबंध में दसवीं योजना के निर्देशों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता हैः (क) स्थूल स्तर पर नीतिगत दिशानिर्देश जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाएं बनाए जाने एवं क्रियान्वित किए जाने को शिक्षित एवं दिशानिर्देशित करेंगे, (ख) आपदा प्रबंधन पद्धतियों को विकास में एकीकृत करने के लिए प्रचालन दिशानिर्देश, और (ग) आपदाओं की रोकथाम और प्रशमन के लिए निर्दिष्ट विकास योजनाएं।

सूक्ष्म स्तर पर योजना में इस बात पर बल दिया गया है, *"हालांकि आपदाएं, प्राकृतिक या अन्यथा दोनों, अपरिहार्य हैं, उनका अनुसरण करने वाली आपदाओं का ऐसा होना जरूरी नहीं है और समाज को उनका कारगर सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है, जब कभी ये प्रकट हों"* और इसमें *"एक ओर रोकथाम, तत्परता, प्रतिक्रिया और समुत्थान को तथा दूसरी ओर जोखिम न्यूनीकरण और प्रशमन का लक्ष्य रखने वाले विकास प्रयास षुरू करने को षामिल करते हुए संपूर्ण आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुमुखी नीति"* का आह्वान किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि केवल तभी हम *"दीर्घकालिक विकास"* की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

प्रचालन स्तर पर योजना ने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जैसा कि आगे वर्णन किया गया है:

क) आपदा प्रतिक्रिया के लिए नागरिक और सैन्य संसाधन, सभी राज्य राजधानियों के साथ विपुल संचार एवं डाटा लिंकों के साथ एक आधुनिक स्थानीय राष्ट्रीय कमांड केंद्र या प्रचालन कक्ष की स्थापना, त्वरित प्रतिक्रिया दलों की स्थापना विशेषकर खोज एवं बचाव कार्यों के लिए, गैर–सरकारी स्रोतों से मानवीय एवं राहत सामग्री को संभालने के लिए मानक कार्य पद्धति तैयार करना और सभी प्रकार की आपदाओं को संभालने के लिए एक एकीकृत कानून बनाने को षामिल करते हुए सांस्थानिक व्यवस्थाओं को एक एकीकृत विधि द्वारा सुचारू बनाया जाना चाहिए।

ख) अतिसंवेदनशीला विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन की एक कड़ी प्रक्रिया षुरू करके, सभी स्तरों पर व्यापक डाटाबेस और संसाधन वस्तुसूची का रखरखाव करके, प्रशमन नियोजन के लिए आधुनिकतम अवसंरचना विकसित करके तथा आपदा प्रबंधकों, निर्णय लेने वालों, समुदाय आदि के उपयोग हेतु एक आपदा ज्ञान नेटवर्क स्थापित करके आपदा रोकथाम और तत्परता को विकास नियोजन में अंतःर्निमित किया जाना चाहिए।

ग) व्यवसायी पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन के संगत पहलुओं सहित विद्यालय पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन शुरू करके, बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं द्वारा आपदा प्रबंधकों की क्षमता का संवर्धन करके और सभी स्तरों पर भारी जागरुकता पैदा करके रोकथाम की राष्ट्रव्यापी संस्कृति को विकसित किया जाना चाहिए।

घ) बेहतर तत्परता और प्रतिक्रिया के लिए जमीनी स्तर के लोगों, विशेषकर अतिसंवेदनशील लोगों को शामिल करके आपदा तत्परता हेतु सामुदायिक स्तर की पहलकदमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ङ) सुरक्षित निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त क्षेत्रीय विनियम, डिज़ाइन मानदंड, भवन संहिताओं और निष्पादन विशिष्टियों को विकसित किया जाना चाहिए।

च) अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में सभी विकास योजनाओं में आपदा प्रशमन विश्लेषण षामिल होना चाहिए जिसके द्वारा क्षेत्र की अतिसंवेदनशीलता के संबंध में परियोजना की व्यावहारिकता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

छ) योजना के अंतर्गत वित्तपोषित अनुमोदित परियोजना लागतों के भाग के रूप में सभी विकास परियोजनाओं में आपदा प्रशमन घटकों को षामिल किया जाना चाहिए। आपदाओं के व्यापक स्वरूप और उनमें से कुछ के द्वारा होने वाली व्यापक तबाही के चलते दसवीं योजना में महसूस किया गया था कि, *"संकट राहत निधि (सी.आर.एफ.) के अलावा आपदा प्रबंधन एवं रोकथाम पूर्वोपायों पर योजनागत व्यय की आवश्यकता है।"*

fØ;kUo;u dh fLFkfr

दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन, आपदा प्रबंधन के संबंध में योजना के निर्देशों के क्रियान्वयन के बारे में मौन रहा है, संभवतः इस कारण कि योजनागत योजनाओं और आवंटनों में इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ उपलब्ध नहीं था। बहरहाल, योजना के कुछ सामान्य और विशिष्ट निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु इस अवधि के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण पहलकदमियाँ की गई हैं। ये निम्नलिखित हैं:

क) दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन के संबंध में एक केंद्रीय कानून अधिनियमित किया गया जिसमें अपेक्षित सांस्थानिक एवं समन्वय तंत्र का प्रावधान किया गया है और केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर रोकथाम एवं प्रशमन पूर्वोपाय करने के लिए एक एकीकृत विधि की मोटी रूपरेखा का उल्लेख किया गया है।

ख) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया है और विभिन्न प्रकार की आपदाओं यथा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, औद्योगिक आपदा आदि के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य षुरू किया है।

ग) राज्य सरकार राज्य आपदा प्रबंधन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। इस संबंध में कुछ राज्यों द्वारा अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

घ) एन.बी.सी. आपदाओं सहित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए एक मजबूत 8 बटालियन वाले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया जा रहा है जिसमें 144 विशेशीकृत प्रतिक्रिया दल षामिल हैं।

घ) देश में गठित नागरिक रक्षा का पुनर्गठन किया जा रहा है और आपदा प्रतिक्रिया एवं राहत के लिए स्थानीय प्रयासों की पूर्ति करने के लिए उनका अतिरिक्त सुदष्ढ़ीकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार, अग्निशमन सेवाओं को बहुआपदा प्रतिक्रिया एककों में बदलने के लिए उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

ङ) विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, षोध एवं दस्तावेजीकरण सुविधाएं स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक मानव संसाधन योजना भी तैयार की जा चुकी है।

च) आपदा प्रबंधन को माध्यमिक और उच्चतर विद्यालय पाठ्यक्रम में षामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन को नागरिक और पुलिस अधिकारियों के प्रवेश–पश्चात और सेवा–दौरान प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। इंजीनियरी, वास्तुशास्त्र और औषधि एवं परिचर्या पाठ्यक्रमों के लिए भी पाठ्यक्रम विकसित किया गया है।

छ) एक विशेषज्ञ समिति नगर एवं ग्राम नियोजन कानूनों के लिए निदर्श भवन उपनियमों, भूमि उपयोग परिक्षेत्रीकरण और विकास नियंत्रण कानूनों को अंतिम रूप दे चुकी है। पूरे देश में नगरपालिकाओं और षहर विकास प्राधिकरणों को निदर्श कानूनों के अनुसार उनके संबंधित उपनियमों और विनियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है।

ज) भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण के लिए नई भवन संहिताएं जारी कर दी हैं। प्राकृतिक आपदाओं और देश के विभिन्न क्षेत्रों के जोखिमों को परिधि में षामिल करने के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता में भी संशोधन किया जा चुका है।

झ) सुरक्षित निर्माण वास्तुकला पद्धतियों के संबंध में 10,000 इंजीनियरों और 10,000 वास्तुकारों को प्रशिक्षण देने के लिए दो राष्ट्रीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

ञ) 17 राज्यों और संघशासी क्षेत्रों में 169 बहुआपदा संभाव्य जिलों में यू.एन.डी.पी. की सहायता से एक समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत गांव से जिले तक आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई जा रही हैं; ग्रामीण स्वयंसेवकों को प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव, खाली कराने, राहत और आश्रय प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है; जिला और उपजिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया जा रहा है और सभी स्तरों पर मूक ड्रिलों का आयोजन किया जा रहा है। आपातकालों में प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम बनाने के लिए संसाधनों की एक वेब साधित केंद्रीकृत वस्तुसूची विकसित की गई है। 564 जिलों से 84,000 से अधिक अभिलेखों को अपलोड किया गया है।

ट) राष्ट्रीय, राज्य और जिला योजनाएं – विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजना की अवधारणा को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 बनाए जाने के साथ एक नई दिशा मिली है। पहले ऐसी योजनाएं सिर्फ जिला स्तर पर बनाई जाती थी। भारत सरकार–यू.एन.डी.पी. आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत ऐसी योजनाएं गांव स्तर पर भी बनाई जा रही हैं। लेकिन सभी कुछ षामिल करने वाली आपदा प्रबंधन योजनाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर कभी नहीं बनाई गई हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम में अनुबद्ध किया गया है कि राज्य सरकारों और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकाय एवं संगठनों के परामर्श से एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी। राष्ट्रीय योजना में निम्नलिखित षामिल होना चाहिएः

(क) आपदाओं की रोकथाम, या उनके प्रभावों के प्रशमन के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ख) प्रशमन पूर्वोपायों को विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए किए जाने वाले उपाय;

(ग) किसी भी खतरनाक आपदायी स्थिति या आपदा के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया करने के लिए तत्परता और क्षमता निर्माण के लिए किए जाने वाले उपाय; और
(घ) उपर्युक्त खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व।

अधिनियम में अनुबद्ध किया गया है कि भारत सरकार का प्रत्येक मंत्रालय और विभाग, आपदा प्रबंधन योजना में निर्धारित गतिविधियों एवं परियोजनाओं को संपन्न करने के प्रयोजन से अपने वार्षिक बजट में निधियों का प्रावधान करेगा।

राज्य स्तर पर जिला और स्थानीय प्राधिकरणों तथा लोगों के प्रतिनिधियों के परामर्श से राज्य आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी। राज्य योजना में निम्नलिखित शामिल होगाः

क) विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए राज्य के विभिन्न भागों की अतिसंवेदनशीला;
ख) आपदाओं की रोकथाम और प्रशमन के लिए किए जाने वाले उपाय;
ग) वह विधि जिसके द्वारा प्रशमन पूर्वोपायों को विकास योजनाओं और परियोजनाओं में एकीकृत किया जाएगा; और
घ) उपर्युक्त खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार के विभाग की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व।

जिला स्तर पर स्थानीय प्राधिकरणों के परामर्श से तथा राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं पर ध्यान देते हुए एक जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी। जिला योजना में निम्नलिखित शामिल होगाः

क) जिले के भाग, विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील;
ख) जिले में जिला स्तर पर सरकार के विभागों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आपदाओं की रोकथाम और प्रशमन के लिए किए जाने वाले पूर्वोपाय;
ग) किसी खतरनाक आपदायी स्थिति या आपदा के लिए प्रतिक्रिया करने हेतु जिले में जिला स्तर पर सरकार के विभागों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित क्षमता निर्माण और तत्परता पूर्वोपाय; और
घ) एक आपदा के मामले में प्रतिक्रिया योजनाएं और पद्धतियाँ, जिनमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया जाएगा–
   (i) जिले में जिला स्तर पर सरकार के विभागों और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए उत्तरदायित्वों का आवंटन;
   (ii) आपदा और तत्संबंधी राहत के लिए तत्पर प्रतिक्रिया;
   (iii) अनिवार्य संसाधनों की खरीद;
   (iv) संचार संपर्कों की स्थापना; और
   (v) जनता के लिए सूचना का प्रसार।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का सोपान–क्रम तैयार करने के संबंध में सांविधिक उपबंध समूचे आपदा प्रबंधन चक्र तथा स्थूल स्तरीय नीतिगत मुद्दों को क्रियान्वयन के सूक्ष्म स्तरीय मुद्दों के साथ एकीकरण को षामिल करते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी संपूर्ण योजनाएं बनाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। यह देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों को अभिमुख करने का अवसर भी उपलब्ध कराते हैं।

vkink tkf[ke izca/ku% l;qDr jk"Vª ;w-,u-Mh-ih- Hkkjr dh Hkwfedk

vkink tkf[ke izca/ku esa l;qDr jk"Vª ra= dh D;k Hkwfedk gS\

संयुक्त राष्ट्र तंत्र में प्रमुख निकाय, प्रचालन परियोजनाएं, अनेक विशेषीकृत एजेंसियाँ और अन्य स्वायत्त निकाय षामिल हैं जो विशिष्ट अध्यादेशों का निष्पादन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में 191 देश शामिल हैं जो मानवता को चुनौती देने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। इस प्रयास में 30 से अधिक सम्बद्ध संगठन सहयोग कर रहे हैं जो एक साथ संयुक्त राष्ट्र तंत्र के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र तंत्र मानव अधिकारों के सम्मान को बढ़ाने, पर्यावरण की रक्षा करने, बीमारियों से संघर्ष करने तथा गरीबी कम करने का कार्य करता है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करना एक ऐसा कार्य है जो संयुक्त राष्ट्र की अनेक सक्षमताओं में व्याप्त हुआ है। दीर्घकालिक विकास के घटक के रूप में आपदा न्यूनीकरण को मान्यता प्रदान किए जाने ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को संयुक्त राष्ट्र परिवार का एक प्रमुख कार्य बना दिया है। वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्पों के आधार पर आपदा की अपनी समझ एवं विधि को प्रतिक्रिया से जोखिम न्यूनीकरण की ओर अंतरित किया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर यह फोकस के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय पहलकदमियों को षुरू किया है। इनमें निम्न शामिल हैं:

क. प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक (आई.डी.एन.डी.आर.) 1990–1999।
ख. संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय नीति (आई.एस.डी.आर.)

इन पहलकदमियों के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 1994 और 2005 में क्रमशः योकोहामा और कोबे में आपदा न्यूनीकरण के संबंध में दो विश्व सम्मेलनों का आयोजन किया है और निम्नलिखित वैश्विक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

क) vi{kkÑr vf/kd lqjf{kr fo'o ds fy, ;kdkgkek uhfr vkSj dk;Z ;kstuk%
1994 में शुरू की गई इस नीति एवं कार्य योजना का उद्देश्य आई.डी.एन.डी.आर. (1990 का दशक) के पूर्वार्ध और 21वीं सदी में के दौरान समुदाय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आपदा प्रबंधन संबंधित गतिविधियों का दिशानिर्देशन करना है।

ख) fg;kxk Ýeod Qkj ,D'ku ¼,p-,Q-,½] 2005&-2015% 2005 में कोबे, जापान में विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन (डब्ल्यू.सी.डी.आर.) में षुरू की गई एच.एफ.ए. का लक्ष्य "आपदों के लिए राष्ट्रों और समुदायों की समुत्थान–शक्ति का निर्माण" करने की दिशा में साझेदारों का दिशानिर्देशन करना है जो बाद हियागो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (एच. एस.ए.) के नाम से जाना जाने लगा। कार्यवाही हेतु इसकी पांच प्राथमिकताएं हैं:

i. सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन क्रियान्वयन हेतु एक सुदष्ढ़ सांस्थानिक आधार के साथ एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय प्राथमिकता है।
ii. आपदा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करना तथा षीघ्र चेतावनी को बढ़ाना।
iii. सभी स्तरों पर संरक्षा की संस्कृति और समुत्थान–शक्ति का निर्माण करने के लिए ज्ञान, नई सोच और शिक्षा का उपयोग करना।
iv. अंतर्निहित जोखिम घटकों का न्यूनीकरण करना।
v. सभी स्तरों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तत्परता को सुदष्ढ़ बनाना।

आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं के संबंध में प्राथमिक उत्तरदायित्व – दीर्घकालिक जोखिम न्यूनीकरण और तत्परता पूर्वोपायों का नियोजन एवं क्रियान्वयन; आपदा राहत एवं पुनर्वास कार्यों का अनुरोध एवं प्रशासन करना; अंतर्राष्ट्रीय सहायता का अनुरोध करना अगर आवश्यकता हो; और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण वाले दोनों तरह के आपदा संबंधी सभी सहायता कार्यक्रमों का समन्वय करना – प्रभावित देश की सरकार है। संयुक्त राष्ट्र की प्रत्येक संस्था या एजेंसी अपने अध्यादेश और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आपदा–संभाव्य या आपदा–प्रभावित देश की सरकार को सलाह एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक एजेंसी अपने शासी निकाय के प्रति जवाबदेह है, लेकिन एक संयुक्त संयुक्त राष्ट्र दल के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उसका आह्वान किया जाता है। हाल ही में देश स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की परियोजनाएं तैयार करने वाली प्रक्रियाओं/ढांचों की मुख्य धारा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इनमें निम्न शामिल है:

- सर्वनिष्ठ देश मूल्यांकन (सी.सी.ए.): राष्ट्रीय विकास की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता रखने वाले मुद्दों की पुनरीक्षा एवं विश्लेषण करने के लिए एक देश–आधारित प्रक्रिया।
- संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढांचा (यू.एन.डी.एफ.): देश की परियोजनाओं और संयुक्त राष्ट्र तंत्र में एजेंसियों की परियोजनाओं के लिए एक नियोजन एवं संसाधन ढांचा।
- संबंधित राष्ट्रीय सरकार के साथ देश सहयोग ढांचा (सी.सी.एफ.)

आपदा न्यूनीकरण में सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र की अनेक सत्ताएं सक्रिय परियोजनाएं चलाती हैं और उनमें से अनेक ने हाल ही के वर्षों के दौरान सक्षमता के अपने संबंधित क्षेत्र में अपनी आपदा न्यूनीकरण क्षमता को सुदष्ढ़ किया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण

के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को आकृति 2.2 में चिह्नित किया गया है। ये सभी एजेंसियाँ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या स्थानीय प्राधिकरणों के साथ और अनेक मामलों में नागरिक समाज संस्थाओं एवं समूहों के साथ मिलकर कार्य करती हैं।

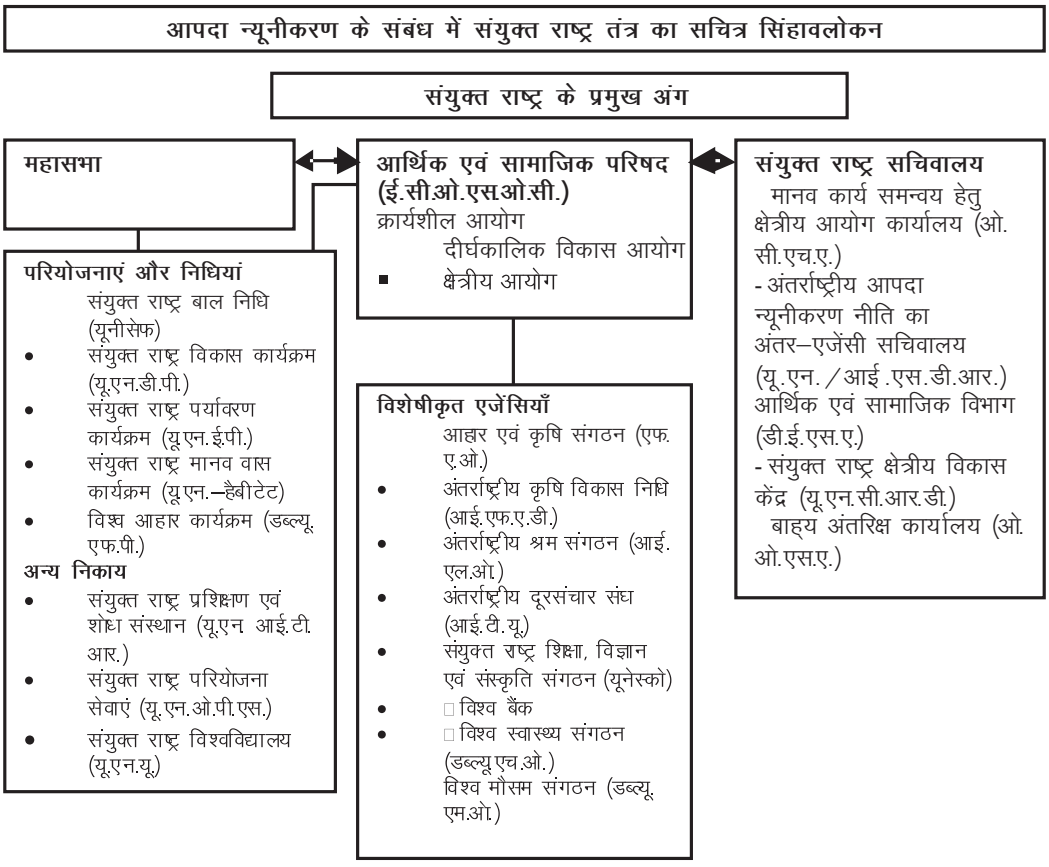

आकृति 2.2: आपदा न्यूनीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र तंत्र का सचित्र सिंहावलोकन
स्रोतः *जोखिम के साथ रहना, यू.एन. आई.एस.डी.आर. 2002*

lgL=kfCn fodkl y{;ksa ls tqMs vkSj vkinkk tksf[ke U;wuhdj.k ds fy, iklafxd jk"Vªh; fodkl y{;

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.) 2015 तक भारत सरकार के विशिष्ट राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक ऊपरी मेहराबी ढांचे के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में विकास कार्यकलाप के बहुल क्षेत्रों में देश निर्दिष्ट लक्ष्य शामिल हैं, जैसा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना (2003–2007) के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। गत वर्षों में सरकार और संयुक्त राष्ट्र ने दो सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों का विशेष रूप से भारत में आपदा

जोखिम प्रबंधन के साथ स्पष्ट संबंध के रूप में उल्लेख किया है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के संबंध में संगत राष्ट्रीय लक्ष्यों; क्योंकि o vkink tkf[ke U;uhdj.k xfrfof/k l tM g] dk l{ki e uhp o.ku fd;k x;k g%

y{; 1% pje xjhch vkj Hk[k dk mUeyu

<u>2015 के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य</u>: प्रतिदिन एक डालर से कम राशि के साथ गुजारा करने वाली और भूख से ग्रस्त जनसंख्या को आधा करना।

<u>राष्ट्रीय लक्ष्य</u>: 2007 तक गरीबी अनुपात को 5 प्रतिशत और 2012 तक 15 प्रतिशत कम करना[1]।

प्राकृतिक आपदाओं और आय गरीबी के प्रति मानव अतिसंवेदनशीलता मोटे तौर पर परस्पर–निर्भर है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा जोखिम का न्यूनीकरण अक्सर गरीबी के उन्मूलन और विलोमतः आश्रित होता है। जोखिमों के प्रति अरक्षितता उन जगहों पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है जहां गरीबी खुद को बुनियादी पोषण आवश्यकताएं हासिल करने के लिए हकदारी के अभाव के रूप में अभिव्यक्त करती है। भूख आपदा के दबाव और आघात का सामना करने के लिए व्यक्ति की क्षमता का कम करती है तथा आपदाएं परिसंपत्तियों को नष्ट कर सकती हैं – परिणामस्वरूप भूख की समस्या प्रकट हो सकती है।

y{; 7% i;koj.k nh?kdkfydrk lfuf'pr djuk

<u>2015 के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य:</u>

- दीर्घकालिक विकास के सिद्धांतों देश की नीतियों और परियोजनाओं में एकीकरण तथा पर्यावरणीय संसाधनों की क्षति को पलटना
- सुरक्षित पेय जल तक दीर्घकालिक पहुंच से वंचित लोगों की जनसंख्या को 2015 तक आधा करना

<u>राष्ट्रीय लक्ष्य</u>:

- वन और वक्ष आवरण को 2007 तक 25 प्रतिशत और 2012 तक 33 प्रतिशत बढ़ाना।
- सभी प्रदूषित बड़ी नदियों की 2007 तक और अन्य अधिसूचित दूरियों की 2012 तक सफाई
- सभी गांवों को 2007 तक पेय जल तक दीर्घकालिक पहुंच उपलब्ध होगी

बड़ी आपदाएं, या नियमित और दुराग्रही लेकिन अपेक्षाकृत छोटी घटनाओं से जोखिम का संचयन दीर्घकालिक षहरी या ग्रामीण पर्यावरणों की किसी भी आशा को मिटा सकता है। यह समीकरण पुनः दोनों तरफ कार्य करता है। उत्तरोत्तर, भूस्खलनों, बाढ़ों और पर्यावरण से जुड़ी अन्य आपदाओं के कारण विध्वंस तथा भूमि उपयोग का स्वरूप एक स्पष्ट संकेत हैं कि इस सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को हासिल करने के पथ में विशालकाय चुनौतियाँ मौजूद हैं।

यहां अन्य संबंध भी मौजूद हैं जिन्हें इस यू.एन.डी.ए.एफ. के माध्यम से सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बीच स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय

विकास लक्ष्यों की सहायता करने में संयुक्त राष्ट्र की परियोजनाओं के माध्यम से आपदा जोखिमों का न्यूनीकरण करने के लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और विकासशील सहभागिताओं के संबंध में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को अनिवार्य माना गया है।

vkink tksf[ke izca/ku esa ;w-,u-Mh-ih- dh D;k Hkwfedk gS\

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 52वें सत्र में यू.एन.डी.पी. को आपदा प्रशमन, रोकथाम और तत्परता के संबंध में राष्ट्रीय क्षमताओं की सहायता एवं सुदष्ढ़ीकरण हेतु केंद्र बिंदु बनने की आज्ञा दी थी।

"आपदा प्रशमन, रोकथाम और तत्परता के संबंध में राष्ट्रीय क्षमताओं के सुदष्ढ़ीकरण हेतु केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना। यू.एन.डी.पी. की कार्यपालक समिति ने तय किया है कि आपदा न्यूनीकरण (रोकथाम, तत्परता और प्रशमन) और समुत्थान में यू.एन.डी.पी. की विकास प्राथमिकताओं के अनिवार्य घटक षामिल हैं; क्योंकि वे हाल ही के lgL=kfCn fodkl y{;ksa से जुड़े हुए हैं। इन लक्ष्यों में चरम गरीबी को आधा करने की सर्वोपरि लक्ष्य के साथ सर्वत्र प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने से लेकर एच.आई.वी./एड्स के फैलाव को पलटने से लेकर स्वच्छ जल तक पहुंच को बढ़ाना षामिल है – सभी की समय–सीमा 2015 है।"

ladV dh jksdFkke vkSj leqRFkku यू.एन.डी.पी. की पांच प्रमुख कार्य क्षेत्रों में से एक है। पूरे विश्व में इस कार्य क्षेत्र की अगुवाई संकट रोकथाम एवं समुत्थान ब्यूरो (बी.सी.पी.आर.) कर रहा है। यू.एन.डी.पी. के संकट की रोकथाम एवं समुत्थान संबंधी प्रयास आपदायी परिस्थितियों के विकास आयामों पर केंद्रित हैं। यू.एन.डी.पी. सशस्त्र संघर्षों की रोकथाम करने, आपदाओं का प्रभाव कम करने तथा संकट प्रकट होने के बाद शीघ्र समुत्थान के लिए कार्य करता है।

अतिसंवेदनशीलता न्यूनीकरण और दीर्घकालिक पर्यावरण हासिल करने के लिए यू.एन.डी.पी. के वैश्विक उद्देश्य इस प्रकार हैः

- आपदा जोखिमों का एक दीर्घकालिक न्यूनीकरण हासिल करना और विकास लाभों की रक्षा;
- आपदाओं के कारण जान–माल की हानि का न्यूनीकरण;
- सुनिश्चित करना कि आपदा समुत्थान दीर्घकालिक मानवीय विकास को सुदृढ़ करने के लिए सेवा प्रदान करे।

यू.एन.डी.पी. आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं के संबंध में मूलतः आपदा जोखिमों के विकास–पहलुओं पर और संस्थान–निर्माण के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है। कंट्री ऑफीसों के माध्यम से यू.एन.डी.पी. के कर्मचारी आवश्यकताओं के मूल्यांकन, क्षमता विकसित करने, समन्वित नियोजन और नीति एवं मानदंड स्थापित करने में स्थानीय सरकारों की मदद करते हैं। इसलिए यू.एन.डी.पी.निम्नलिखित पर बल देता हैः

क) nh?kdkfyd tkf[ke U;uhdj.k vkj rRijrk iokik;k को सामान्य विकास नियोजन और परियोजनाओं में षामिल करना, जिसमें निर्दिष्ट प्रशमन उपायों के लिए सहायता षामिल है, जहां आवश्यकता हो।

ख) vkink mijkr iuLFkkiu ,o iufuekk.k dk fu;ktu vkj fØ;kUo;u में सहायता करना, जिसमें प्रभावित क्षेत्र के लिए जोखिम न्यूनीकरण संबंधी संगत पूर्वोपायों को सम्मिलित करते हुए नई विकास नीतियों की परिभाषा शामिल है।

ग) विकास पर षरणार्थियों या विस्थापित व्यक्तियों की विशाल आबादियों के प्रभाव की समीक्षा करना तथा 'kj.kkfFk;k vkj foLFkkfir 0;fDr;k dk fodkl uhfr;k e 'kkfey dju के उपाय तलाशना।

घ) विस्तातरित समयावधि के बड़े आपातकाल सहायता कार्यों का प्रबंधन करने में प्राधिकारियों को rduhdh lgk;rk उपलब्ध कराना (विशेषकर विस्थापित व्यक्तियों के संबधं में और ऐसे मामलों में ठोस समाधान हासिल करने के लिए संभावनाएं)।

यू.एन.डी.पी. का रेजीडेंट रिप्रेजेंटेटिव संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दल (डी.एम.टी.) के कार्यों का भी समन्वय करता है जिसमें देश में आपदाओं के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ, और अन्य महत्त्वपूर्ण साझेदार शामिल होते हैं। आपदा प्रशमन और/या राहत या समुत्थान सहायता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के अनेक अन्य संगठनों और एजेंसियों के निर्दिष्ट उत्तरदायित्व, संगठनात्मक व्यवस्थाएं और क्षमताएं हैं। यू.एन.डी.पी. इन एजेंसियों के अध्यादेशों एवं कौशलों का सम्मान करता है, और सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ कार्य करें और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपनी विशेषज्ञता एवं संसाधन इस्तेमाल करें।

ldV jkdFkke ,o leRFkku C;jk ¼ch-lh-ih-vkj-½ यू.एन.डी.पी. के नौ वैश्विक ब्यूरों में से एक है। बी.सी.पी.आर. यू.एन.डी.पी. के संकट रोकथाम एवं समुत्थान (सी.पी.आर.) कार्य क्षेत्र की अगुवाई करता है। इसका मिशन हैः

'आपदाओं और हिंसात्मक संघर्षों के व्याप्ति और प्रभाव कम करने के लिए साझेदारों के साथ कार्य करते हुए दीर्घकालिक विकास हेतु यू.एन.डी.पी. के प्रयासों को बढ़ाना, और षांति एवं संकट से समुत्थान के लिए ठोस नींव तैयार करना, जिससे गरीबी उन्मूलन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की प्रगति होगी।'

बी.सी.पी.आर. का vkink U;uhdj.k ,dd ¼Mh-vkj-;-½ प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर ध्यान देता है। इसका लक्ष्य *"परियोजना देशों में आपदा के जोखिमों को कम करना"* है। इसकी नीति राष्ट्रीय और क्षेत्रीय क्षमताओं के सुदष्ढ़ीकरण द्वारा अफ्रीका, एशिया और लातिन अमरीका में 50 से अधिक परियोजना देशों में दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और दीर्घकालिक समुत्थान हासिल करना है। इसके कार्य निम्नलिखित से जुड़े हैं:

क. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में आपदा जोखिम नियोजन और तत्परता के एकीकरण को ikR lkgu nuk(
ख. उदीयमान आपदा जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन करने में 'kkfey gkukA
ग. समुत्थान परियोजनाओं के भाग के रूप में जोखिम न्यूनीकरणण नीतियों के संबंध में सलाह miyC/k djkuk; क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय ज्ञान नेटवर्कों के माध्यम से दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थागत संरचनाओं का सुदष्ढ़ीकरण;
घ. क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय ज्ञान नेटवर्कों के माध्यम से आपदा जोखिम और अतिसंवेदनशीलता न्यूनीकरण के लिए रणनीतियों और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के संबधं में सूचना का आदान–प्रदान करने में देशों को leFk cukuk(
ङ. आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रभावी नीति एवं ढांचों के भूमिका को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक रिपोर्ट, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2004), तैयार करने के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण के संबंध में वैश्विक समर्थन में vi'knku djuk(
च. जोखिम संभाव्य देशों में अधिकारियों के लिए उपलब्ध अंतर–एजेंसी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को lgkjk nukA आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी.एम.टी.पी.);
छ. आपदा न्यूनीकरण को यू.एन.डी.पी. के कार्य क्षेत्रों की मुख्य धारा में षामिल करना जैसे:
   1. गरीबी उन्मूलन और दीर्घकालिक जीविकाएं;
   2. लैंगिक समभाव और महिलाओं की उन्नति;
   3. पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधन दीर्घकालिकता, और
   4. सुदष्ढ़ षासन।

यह अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण नीति (आई.एस.डी.आर.) के क्रियान्वयन में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है। यह आपदा न्यूनीकरण में विशेषीकृत विशेषज्ञता वाले जेनेवा स्थित सात विशेषज्ञों से बना है जिनके साथ पांच क्षेत्रीय आपदा न्यूनीकरण सलाहकार (आर.डी.आर.ए.) मौजूद हैं जो बैंगकॉक (पूर्व एशिया और पैसीफिक क्षेत्र के लिए), दिल्ली (दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र), नैरोबी (दक्षिण अफ्रीका), बेरूत (मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका) और पनामा (लातिन अमरीका और कैरीबियन) में स्थित हैं। उनके दल इन क्षेत्रों में यू.एन.डी.पी. कंट्री ऑफीसों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

Hkkjr esa ;w-,u-Mh-ih-

लगभग एक दशक से यू.एन.डी.पी. आपदा प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत की केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न पहलकदमियों की सहायता कर रहा है। अतिसंवेदनशीलता न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत सरकार–यू.एन.डी.पी. की सहभागिता में दो बड़ी आपदाओं – उड़ीसा के महाचक्रवात (नवंबर 1999) और गुजरात के विनाशकारी भूकंप (जनवरी 2001) के प्रदुर्भाव में अतिरिक्त प्रवर्धन हुआ है। यह सहभागिता स्थानीय सरकारों द्वारा बनाई गई विकास योजनाओं में समुदाय–आधारित आपदा तत्परता और प्रशमन नियोजन प्रक्रिया के एकीकरण पर केंद्रित है, और स्थानीय क्षमताओं एवं संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण भी करती है। एकत्रित विपुल अनुभव के आधार पर आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना भारत सरकार–यू.एन. डी.पी. कंट्री प्रोग्राम (2003–07) की विषयक प्राथमिकताओं के अंतर्गत भारत सरकार के साथ एक संयुक्त पहलकदमी के रूप में उभरी। *'समुदाय आधारित आपदा तत्परता विधि'* प्रयोग करके इस परियोजना को बनाया गया है। इस समय यह परियोजना 17 चुनिंदा राज्यों में 169 चिह्नित बहुआपदा संभाव्य जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। संयुक्त परियोजना में *भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन तंत्र को सांस्थानिक रूप प्रदान करने के लिए समुदाय आधारित और लिंग संवेदी विधियों के द्वारा सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण के माध्यम से दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण* पर बल दिया गया है। आपदा तत्परता, रोकथाम और प्रशमन के लिए यह परियोजना विभिन्न साझेदारों अर्थात सभी स्तरों पर सरकार, समुदाय आधारित संगठनों और राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय संसाधन संस्थानों की सहभागिताओं को भी प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस परियोजना का 340 लाख अमरीकी डालर का बहु–दातागण संसाधन ढांचा है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

1. गृह मंत्रालय में आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना को सांस्थानिक रूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण।
2. प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं दीर्घकालिक समुत्थान के क्षेत्र में सभी स्तरों पर पर्यावरण निर्माण, शिक्षा, जागरुकता अभियान और क्षमताओं का सुदष्ढ़ीकरण
3. 17 चुनिंदा राज्यों में 169 सर्वाधिक आपदा संभाव्य जिलों में राज्य, जिला, ब्लाक, गांव और वार्ड स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बहुआपदा तत्परता, प्रतिक्रिया और प्रशमन योजनाएं।
4. आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी तरीकों, विधियों और साधनों के संबंध में ज्ञान की नेटवर्किंग, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर नीतिगत ढांचों का विकास एवं प्रोत्साहन

आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के निम्नलिखित उपघटक हैं:–

1. *शहरी भूकंप अतिसंवेदनशीलता न्यूनीकरण परियोजना,* जो इस समय मध्य से उच्च जोखिम भूकंपीय क्षेत्रों में 38 षहरों में क्रियान्वित की जा रही है।

2. *भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क* – आई.आर.डी.एन., आपातकाल में उपस्कर और कुशल मानव संसाधन को प्रभावी रूप जुटाने का संवर्धन करने के उद्देश्य से आपदा तत्परता और प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध संसाधनों के भंडार संबंधी एक वेब पोर्टल।
3. *भारतीय आपदा ज्ञान नेटवर्क* – आई.डी.के.एन., एक ज्ञान नेटवर्किंग पोर्टल जो सरकारी एजेंसियों, नीति निर्माताओं, आपदा प्रबंधकों और विशेषज्ञों के बीच नेटवर्क और सहभागिताएं स्थापित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है।

इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पहलकदमियों के आधार पर एक बहुमुखी नीति को अपनाया गया है, जैसे बहुआपदा प्रबंधन योजनाएं, क्षेत्रों की अतिसंवेदनशीलता के आधार पर स्थानीय स्तर की आकस्मिकता योजना (सी.सी.पी.) बनाने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सरकारी पदाधिकारियों, समुदाय आधारित संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों और पंचायती राज संस्थाओं से स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, संसाधन मापचित्रण और अतिसंवेदनशीलता विश्लेषण। दीर्घकालिकता और जिलों की योजनाओं में आपदा प्रबंधन का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए तत्परता और प्रशमन नियोजन में पंचायती राज संस्थाओं (ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्व–सरकार) और षहरी स्थानीय निकायों (शहर स्तर पर) को प्रत्यक्ष रूप से षामिल किया जा रहा है। इस परियोजना ने राष्ट्रीय स्तर पर और परियोजना राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी नीतिगत ढांचों को स्थापित करने और भवन विनियमों एवं उपनियमों का संशोधन करने में सहायता की है। इसने विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर आपदा प्रबंधन समितियों (डी.एम.सी.) का गठन करवाकर प्रशमन, तत्परता और प्रतिक्रिया कार्यों को षामिल करते हुए एक अंतर–विभागीय विधि के लिए सांस्थानिक तंत्रों के विकास में भी सहायता की है। समुदायों को निर्दिष्ट कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन्हें षीघ्र चेतावनी का प्रसार, खोज एवं बचाव कार्य, आपदायी घटना/स्थिति में प्राथमिक सहायता उपचार करने में षामिल होने के लिए समर्थ बनाया जा सके। राजगीरों/निर्माण कामगारों और इंजीनियों को बहुआपदा रोधी आवास तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें स्थानीय भवन उपनियमों की शिक्षा दी जा रही है ताकि परिणामस्वरूप समुदायों के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित आवास उपलब्ध हों। जोखिम प्रबंधन पहलकदमियों में और आपदा जोखिम प्रबंधन को सुव्यवस्थित रूप से मुख्य धारा में षामिल करने के लिए उपयुक्त एवं व्यावहारिक संरचनात्मक और असंरचनात्मक आपदा रोकथाम और प्रशमन पूर्वोपायों/पद्धतियों का प्रचार–प्रसार में कार्पोरेट क्षेत्र और व्यवसायी निकायों को भी षामिल किया जा रहा है।

लैंगिक समभाव एवं साम्यता के बारे में जागरुकता बढ़ाकर आपदा न्यूनीकरण में लैंगिक विषयों को मुख्य धारा में षामिल किया गया है तथा आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण में लैंगिक विश्लेषण को षामिल किया गया है। आपदायी परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया दीर्घकालिक समुत्थान के लिए महिलाओं की क्षमताओं का संवर्धन करने के उद्देश्य से उनके कौशलों का उन्नयन करने के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की साझेदारी को महत्त्व दिया जा

रहा है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना को संयुक्त करने के संपूर्ण अनुभव का सारांशीकरण करने के लिए *सबसे पहले* आपदा जोखिम प्रबंधन को सांस्थानिक रूप देने की प्रक्रिया पर कार्यवाही की गई है और *दूसरे स्थान पर* अपनायी गई परियोजना नीतियों ने अतिसंवेदनशीलताओं को कम करने के लिए वर्तमान राज्य, जिला और स्थानीय प्रशासन की क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह हस्तक्षेप की आवश्यकता रखने वाले भौगोलिक क्षेत्रों में सर्वप्रथम प्रतिक्रिया करने वालों (समुदाय) और सेवा प्रदाताओं (वर्तमान सरकारी तंत्र) के बीच संपर्क शृंखला स्थापित करने में भी सहायता कर रही है।

lenk; vk/kkfjr vkink rRijrk D;k g\

समुदाय आधारित आपदा तत्परता (सी.बी.डी. पी.) आपदा प्रतिक्रिया, प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। किसी आपातकाल की आकस्मिकता के मामले में समुदाय सबसे पहले सामना और तुरंत प्रतिक्रिया करता है, इस कारण आपदाओं के फलस्वरूप होने वाली हानियों को न्यूनतम बनाने के लिए समुदायों की क्षमताओं का निर्माण करने, कौशलों तथा सामना करने के परंपरागत तंत्रों का संवर्धन करने की आवश्यकता है। इसी विचार के साथ उड़ीसा के 10 ब्लाकों में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित 7 जिलों में एक समुदाय आधारित आपदा तत्परता परियोजना पायलट आधार पर षुरू की गई थी और भारत के चुनिंदा सत्रह सर्वाधिक अतिसंवेदनशील राज्यों के 169 जिलों में इसका प्रतिरूपण किया गया।

vkink rRijrk vkj i'keu dk egÙo%

आपदा का प्रशमन करने के लिए तत्परता के पीछे बुनियादी लक्ष्य समुदायों का विभिन्न प्रकार आपदाओं के लिए, जिनके प्रति वे अतिसंवेदनशील हैं, समाधान विकसित करने हेतु सशक्तीकरण करना तथा किसी प्राकृति आपदा के लिए उच्चतर सुरक्षा उपलब्ध कराना है। विभिन्न आपदा प्रबंधन दलों का एक हिस्सा होने के नाते पूरा समुदाय तत्परता की समूची प्रक्रिया में षामिल होता है।

rRijrk e lenk; dh Hkfedk% यह अनुभव किया गया है कि तत्परता गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता किसी भी प्रकार आपदा का प्रशमन करने के लिए सबसे अनिवार्य घटक है। तत्परता चरण में समुदाय को शामिल करने से न केवल आपदा का प्रशमन करने में मदद

करने के लिए समुदाय द्वारा अधिक कार्यवाही करने की संभावना बढ़ती है बल्कि समस्या का सामूहिक रूप से निवारण करने के लिए समुदाय एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि किसी सामूहिक कार्यवाही अच्छे परिणाम मिले हैं और काफी हद तक यह आपदा के प्रभाव को कम करने में कारगर रहा है।

lh-ch-Mh-ih- D;k gS% lh-ch-Mh-ih- ds fofHké ?kVd

<u>vkink izca/ku lfefr;ksa dk xBu vkSj vkink izca/ku lfefr;ksa ds mÙkjnkf;Ro ifjHkkf"kr djuk</u>% प्रत्येक गांव में गांव आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है और वे आपदा तत्परता गतिविधियाँ शुरू करने के लिए उत्तरदायी हैं। विभिन्न क्षेत्रों से 5 से लेकर 20 लोगों को शामिल करके गांव आपदा प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है। गांव आपदा प्रबंधन समिति का आकार ग्रामीणों की जनसंख्या और जरूरत पर निर्भर करता है। इसमें स्थानीय गैर–सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन, स्थानीय पंचायती राज संस्थाएं, युवा (स्कूल छोड़ने वाले), जमीनी स्तर के सरकारी पदाधिकारी आदि शामिल हो सकते हैं। समिति के सदस्य निर्णय लेंगे कि कब विकास की योजना बनाई जाए। सी.बी.डी.पी. गतिविधियों के लिए समूची डी.एम.सी. अपने नेता का निर्णय लेगी।

<u>foxr vkinkvksa dh iqujh{kk ,oa fo'ys"k.k</u>% आपदाओं की आवृत्ति और परिणामी हानि के आधार पर उनका प्राथमिकता निर्धारण; आपदाओं का मौसम कैलेंडर तैयार करना और तत्परता गतिविधियाँ संपन्न करने के लिए तारीखों को अंतिम रूप देना; गांव के मापचित्रण द्वारा संसाधनों की पहचान करना; विभिन्न आपदा संभाव्य जगहों की पहचान करना और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का मापचित्रण; विभिन्न आपदाओं के आधार पर जोखिमपूर्ण समूहों (मानव और पशु), समुदाय और निजी परिसंपत्तियों की पहचान करना; निकालने के लिए सुरक्षित जगहों और सुरक्षित रास्तों की पहचान करना।

<u>vkinkvksa dk ekSle dSys.Mj</u>% विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के विगत अनुभव का विश्लेषण करते समय समुदाय आपदाओं और घटनाओं के प्रकट होने के आधार पर मौसम कैलेंडर तैयार कर रहे हैं। कैलेंडर में वे आपदा के प्रकट होने का महीना और तत्परता एवं मूक ड्रिल के लिए महीना दर्शा रहे हैं।

मौसम आपदा कैलेंडर

क्रमांक	आपदा	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	(दिसंबर)
1	बाढ़							√	√	√			
2	चक्रवात				√	√					√	√	
3	घरेलू आग			√	√	√	√						
4	अकाल								√	√			
5	जंगली दावानल				√	√							

√ प्रकट होने का महीना

© तत्परता महीना और मूक ड्रिल

ekifp=.k dok;n% सी.बी.डी.पी. की एक सबसे महत्त्वपूर्ण गतिविधि गांव या समुदाय का मापचित्रण है क्योंकि जमीनी स्तर का डाटा एकत्र करने के लिए मापचित्रण को अत्यधिक आसान और लागत–फलकारी साधन माना जाता है। यह कवायद समुदाय के सदस्यों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए भी अत्यधिक उपयोगी पाई गई है। यह समस्या की पहचान करने और परियोजना क्रियान्वयन के लिए सामूहिक सहभागिता को भी बढ़ाता है। ये मापचित्र न केवल समुदाय में जागरुकता पैदा करते हैं बल्कि बाढ़ या किसी आसन्न आपदा के दौरान सुचारू तरीके से बाहर निकलने में भी उपयोगी हैं। गांव की महिलाओं और गरीब लोगों की सक्रिय सहभागिता के साथ मापचित्रण कवायद की जाती हैं।

सी.बी.डी.पी. मदद एवं सहारे के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहने की बजाय स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों को इस्तेमाल करने पर बल देती है और इसके लिए समुदाय को प्रोत्साहित करती है। ग्रामीणों को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री इस्तेमाल करते हुए जमीन पर मापचित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे विभिन्न वस्तुओं और सूचकों के लिए पत्थर, रेत और विभिन्न रंगीन पाउडर। इसके लिए समुदाय द्वारा गांव का विस्तृष्त मापचित्रण किया जाता है क्योंकि अंततः वही लोग उस मापचित्र को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये मापचित्र उपयोगकर्ता हितैषी हैं और प्रयुक्त सूचक समुदाय की समझ के अनुसार होते हैं। मापचित्रण कवायद के एक भाग के रूप में कवायद में मदद करने वाले स्वयंसेवकों के साथ गांव वालों को पूरे गांव में जाना पड़ता है और समुदाय में उपलब्ध ऐसे विभिन्न संसाधनों को नोट करना होता है जो आपदा के समय उपयोगी साबित हो सकते हैं। संसाधन बिंदुओं को भी दर्ज किया जाता है।

lalk/ku ekifp=.k% संसाधन मापचित्रण इस पर ध्यान देता है कि समुदायों के पास क्या उपलब्ध है। आपदा के दौरान और बाद में समुदायों का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली परिसंपत्तियों और संसाधनों की पहचान करके यह कार्य किया जाता है। अवसंरचना और धन के अलावा, यह लोग, स्थानीय संस्थान, लोगों का ज्ञान, कौशल हो सकता है क्योंकि इन सभी के पास अपने समुदाय की रचना करने और उसमें बदलाव लाने की क्षमता होती है। इसलिए संसाधन मापचित्र सिर्फ उपलब्ध संसाधनों को दर्शाने वाले मापचित्र तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें वितरण, पहुंच के आधार पर संसाधनों का आलेखन और गांव के भीतर कुछ संवेदनशील मुद्दों की मौजूदगी के कारण इसका उपयोग भी शामिल है।

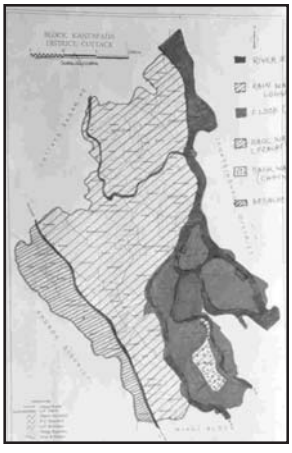

tksf[ke vkSj vfrlaosnu'khyrk ekifp=% अतिसंवेदनशीलता मापचित्र में समुदाय के सदस्यों को गांव के लिए विभिन्न संभाव्य आपदाओं और संभावित प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। वे निचले क्षेत्रों का सीमांकन, समुद्र या नदी या किसी जलाशय के अधिक नजदीक, हवा प्रवाह की दिशा आदि की भी पहचान करते हैं। मापचित्रण की इस कवायद के माध्यम से समुदाय के सदस्य जोखिम

समूहों की अवस्थिति और परिसंपत्तियों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें विभिन्न आपदाओं से रक्षा की आवश्यकता है।

lij{kk ekifp=: इसी प्रकार की एक कवायद में समुदाय सभी सुरक्षित मकानों/भवनों, पेय जल स्रोतों और वैकल्पिक रास्तों की पहचान करता है जो आपातकाल में उपयोगी होंगे।

मापचित्रण की कवायद को वास्तव में आरंभ करने से पहले समुदाय को अपने बीच उनके सामने प्रकट हुई पिछली आपदा के अपने अनुभव या भविष्य में उनके सामने आ सकने वाली आपदा के बारे में विचार–विमर्श करना चाहिए। विचार–विमर्श इस बात पर केंद्रित होना चारहिए कि आपदा से पहले, के दौरान, के बाद क्या हुआ था, उनके सामने कौन–कौन सी बड़ी कठिनाइयां आई थीं, आदि। इस प्रकार विगत आपदाओं की पुनरीक्षा की जाती है, क्षतियों/हानियों का और उसके प्रकट होने की आवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के आधार पर समुदाय के लिए आपदा तत्परता और प्रतिक्रिया योजना बनाई जानी है।समुदाय में अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए तीन दिन विशेष बैठक की जाती है। कार्यों को चार समयों में बांटा जाता है यथा तत्परता और प्रशमन गतिविधियों के लिए सामान्य समय, आपदा पूर्व (किसी आपदा की चेतावनी मिलने के बाद), आपदा दौरान और आपदा उपरांत। प्रत्येक दल और व्यक्ति के लिए जोखिम निर्दिष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व तय किए जाते हैं। इस समूची प्रक्रिया में समुदाय के सदस्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और एक गतिशील आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए अंशदान करते हैं।

आपदा उपरांत अवधि में संकट की स्थिति को संभालने के लिए समुदाय या गांव स्तर पर आपदा प्रबंधन दल (डी.एम.टी.)/कार्यदल बनाए जाते हैं। सामान्य स्थिति बहाल होने तक और उनको उबारने में मदद करने के लिए मौके पर बाहरी एजेंसियों के पहुंचने तक ये दल आपदा को संभालने अत्यंत महत्त्पूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न आपदा प्रबंधन दल जैसे चेतावनी, आश्रय प्रबंधन, निकालन और बचाव, चिकित्सा और प्राथमिक सहायता, जल और स्वच्छता, षवों का निपटान, परामर्श, क्षति मूल्यांकन तथा राहत एवं समन्वय। डी.एम.टी. के सदस्यों की क्षमताओं/शक्तियों का विश्लेषण किया जाता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता के आधार पर डी.एम. टी. के सदस्यों को विशेषीकृत/तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे खोज एवं बचाव, जल एवं स्वच्छता, प्राथमिक सहायता और अभिघात परामर्श आदि। सभी डी.एम.टी. सदस्य सतत प्रशिक्षण और अपने उत्तरदायित्वों का कारगर तरीके से निर्वहन करने के लिए वर्तमान सेवा प्रदाताओं से जुड़े होते हैं।

miyC/k llk/kuk vkj nh?kdkfyd rRijrk d lkFk vkikrdky ifrfØ;k d fy, iR;d vkink ic/ku ny d dk;k dk ifjHkkf"kr djuk

डी.एम.टी. की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं:

षीघ्र चेतावनी दल – शीघ्र चेतावनी दल के पास घरों के सभी सदस्यों, विशेषकर अतिसंवेदनशील घरों की विस्तृत रिपोर्ट मौजूद होगी। जोखिमपूर्ण मौसम में भली–भांति समय रहते आपातकाल संपर्क टेलीफोन नंबर इकट्ठे किए जाने चाहिए, इस जोखिमपूर्ण अवधि से पहले रेडियो, टेलीविजन जैसे साधन चालू हालत में तैयार रखे जाने चाहिए। आपदा के दौरान यह दल आसन्न आपदा के बारे में प्रत्येक और हरेक घर को सूचित करने के लिए अनन्य रूप से उत्तरदायी है। किसी भी आपदा के दौरान यह दल बनते हुए हालात के बारे में अद्यतन सूचना प्राप्त करेगा और लोगों को सूचित करेगा। उन्हें स्थिति पर नजर भी रखनी चाहिए और चेतावनी वापस दिए जाने का संदेश सुनना चाहिए।

बचाव और निकालने का दलः इस दल के पास अतिसंवेदनशील आबादी की सूची मौजूद होनी चाहिए जिन्हें आपदा के समय सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना है और उसमें प्रत्येक घर का विस्तृत ब्यौरा षामिल होना चाहिए। उनके जरूरी वस्तुएं जैसे हवा की ट्यूब, रस्सी, बांस, काटने के औजार आदि मौजूद होनी चाहिए। उस अवधि के दौरान उन्हें अतिसंवेदनशील और जरूरतमंद लोगों का बचाव करना है। आपदा अवधि के बाद उन्हें इन अतिसंवेदनशील व्यक्तियों को उनके घरों में पहुंचाना है। दल के सदस्यों को स्वदेशी और स्थानीय सामग्रियों से बचाव किट तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। संकट के समय महिलाओं का बचाव करने के लिए दल के सदस्यों में अधिकाधिक महिलाएं षामिल होनी चाहिए।

आश्रय दलः दल के नेता या दल के किसी अन्य सदस्य के पास सुरक्षित आश्रयों की चाबियां होनी चाहिए ताकि आपदा से पहले वे उस जगह को साफ कर सकें और आपदा अवधि के दौरान निकाले जाने वाले लोगों के लिए जरूरी सामग्रियां उपलब्ध करा सकें, जैसे भोजन, पानी, दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर, जलाऊ लकड़ी, लालटेन आदि। आपदा के दौरान वे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। आपदा के बाद दल आश्रय जगह को साफ करेगा। तरजीही तौर पर महिलाएं आश्रय दल की सदस्य होनी चाहिए क्योंकि उन्हें घरों के रखरखाव का अच्छा ज्ञान होता है और वे आपातकाल के दौरान आश्रय का प्रबंधन करने में समर्थ होती हैं। पुरुषों की महिलाएं अधिक ध्यान रखने वाली होती हैं।

जल एवं स्वच्छता दलः यह दल आश्रय स्थलों पर अस्थायी षौचालयों/मूत्रालयों का निर्माण करेगा। यह पेय जल और खाना पकाने एवं नहाने के लिए पानी के भंडारण की व्यवस्था भी करेगा। यह आश्रय स्थल पर सफाई की जांच करेगा ताकि बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए विशेष उपाय किए जा सकें। फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव उनकी प्राथमिकता है। आपदा के बाद वे गांव में सारे कचरे को साफ करेंगे। वे कुओं का रोगाणुनाशन भी करेंगे।

चिकित्सा और प्राथमिक सहायता दलः यह दल सारी अतिसंवेदनशील आबादी जैसे वृद्ध और बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे आदि की सूची बनाने और उसे अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है। उन्हें जोखिमपूर्ण मौसम से पहले आवश्यक दवाएं भी खरीदनी हैं और गांव में बीमार लोगों की नेमी जांच करनी है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इकट्ठा करनी है और किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी पूर्वोपायों के बारे में लोगों को जानकारी देनी है। महिलाएं और गांव के वर्तमान स्वास्थ्य व्यवसायी इस दल के सदस्य होने चाहिए। यह दल सतत प्रशिक्षण के लिए स्थानीय चिकित्सा से जुड़ा होना चाहिए।

राहत और समन्वय दलः यह दल प्रत्येक घर के सदस्यों की सूची रखने के लिए उत्तरदायी है ताकि यह प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्रियों की व्यवस्था या खरीदारी कर सके। यह आपदा के समय राहत सामग्रियों के वितरण के लिए भी उत्तरदायी है। आपदा उपरांत अवधि में यह ब्लाक कार्यालय से राहत सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। उनके ऐसी दुकानों/डीलरों की सूची भी होनी चाहिए जहां आपातकाल के समय खाद्यान्न उपलब्ध हों।

षवों का निपटानः यह दल किसी आपदा के बाद षवों (यदि कोई हो) का निपटान करने के लिए उत्तरदायी है। उनका विभिन्न प्रकार की षव निपटान विधियों से परिचय करवाया जाता है। इस दल को षवों का यथासंभव षीघ्र और सही तरीके से निपटान करके बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए।

परामर्शः वर्तमान राहत व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य के उपचार के लिए व्यवस्था नहीं है जिससे बड़ी आपदाओं के बाद आत्महत्या के मामलों को बढ़ावा मिलता है। यह देखा गया है कि समुदाय के अधिकांश सदस्यों को भारी नुकसान और परिवार के सदस्यों की मष्त्यु के कारण आघात पहुंचता है। बड़े पैमाने पर तबाही के बाद कुछ पीड़ितों के सामान्य स्थिति में वापस आना कठिन हो जाता है। उस स्थिति में पीड़ितों को परामर्श देना परामर्श दल का उत्तरदायित्व है।

क्षति मूल्यांकनः आपदा के बाद हालात बेहतर बनने के साथ–साथ क्षति मूल्यांकन दल मूल्यांकन का कार्य करता है। बुनियादी तौर पर क्षतिग्रस्त मकान, जीविका अर्जन की परिसंपत्तियां और फसल आदि। आमतौर पर यह होता है कि एक सरकारी कर्मचारी (राजस्व विभाग) एक विशेष अवधि के बाद मूल्यांकन करता है, और इस अवधि के दौरान क्षति मूल्यांकन दल सच्चा और सही मूल्यांकन करने में उसकी मदद करता है।

गांव की जरूरत के अनुसार जोखिम निर्दिष्ट प्रशमन गतिविधियों की पहचान करनाः गांव आपदा प्रबंधन योजना बनाते समय प्रत्येक जोखिम के लिए प्रशमन योजना को दीर्घकालिक नियोजन हेतु बनाया जाना चाहिए, जैसे कि चक्रवात संभाव्य क्षेत्रों में तटवर्ती बागान और चक्रवात आश्रय, निचले इलाकों में जलनिकासी तंत्र, सामुदायिक भवन या स्कूल इमारत के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाना। सभी प्रशमन योजनाओं को वित्त व्यवस्था हेतु उच्चतर प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। यह हानि को न्यूनतम बनाने और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव की रोकथाम करने में समुदाय की मदद करता है। सभी समुदाय प्रशमन योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन किया जाता है और वे ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग बनती हैं।

आपातकाल निधि/समुदाय आकस्मिकता निधि (सी.सी.एफ.) का सष्जनः आपदा पूर्व और आपदा उपरांत अवधि में निधियों की उपलब्धता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न कार्य किए जाते हैं और प्रत्येक कार्य करने के लिए निधियों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस आकस्मिकता को पूरा करने के लिए गांव में प्रत्येक घर को एक निधि का सष्जन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कभी–कभार वे नकद या वस्तुओं के रूप में निधि का सष्जन करते हैं जैसे कि खाद्यान्न जो गांव का खाद्यान्न बैंक बनते हैं। निवासियों की वहन क्षमता के आधार पर अत्यंत मामूली राशि इकट्ठा की जाती है और समुदाय आकस्मिकता निधि या ग्राम निधि के रूप में रखी जाती है। वार्षिक सभा में वे यह निर्णय लेते हैं कि गांव की आवश्यकता और विकास परियोजना के लिए इस निधि को किस तरह इस्तेमाल किया जाए।

lenk; vk/kkfjr vkink rRijrk d viuk, x, ekMy%

आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में ग्राम पंचायत/ब्लाक के सदस्यों का प्रशिक्षणः ग्राम पंचायत, ब्लाक और गांव स्तर के बीच की व्यवस्था है जो आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण लिंक है। इस देखरेख करना और इस प्रक्रिया में समुदाय का दिशानिर्देशन करना ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व है। इसी प्रकार ब्लाक प्रशासनिक इकाई है जो सभी विकास परियोजनाओं की व्यवस्था करता है और प्रशासन के ऊपरी स्तर के साथ अच्छा संपर्क रखता है। इसलिए इन पहलकदमियों के लिए दोनों स्तरों के पदाधिकारी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और जोखिम न्यूनीकरण, विकास कार्यक्रम का हिस्सा होगा। गांव स्तर पर गतिविधियों को षुरू करने से पहले जिला स्तर के दक्ष प्रशिक्षक ग्राम पंचायत और ब्लाकों के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी हैं।

ग्रामीण स्वयंसेवकों की पहचान करना और प्रशिक्षणः इस परियोजना का एक प्रमुख घटक आपदा प्रबंधन और प्रशमन पहलकदमियाँ करने के लिए समुदाय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधनों का एक संवर्ग विकसित करना है। इस परियोजना में एक नई विधि इस्तेमाल की गई है जिसके अंतर्गत कम से कम दो व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है और जो प्रशिक्षण के बाद गांव आपदा प्रबंधन योजना बनाने में समुदाय की मदद कर रहे हैं।

इन स्वयंसेवकों को स्थानीय स्व–सरकार, ब्लाक पदाधिकारियों और सी.बी.ओ. द्वारा चुना जाता है। अधिकांश स्वयंसेवक स्थानीय युवा क्लब, महिला आत्मसहायता समूहों या सी.बी.ओ. से होते हैं और एक ही समुदाय से संबंधित होते हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षणः भारत में उत्तरदायित्वों का विकेंद्रीकरण बहुत अच्छा है और त्रिस्तरीय तंत्र पहले से मौजूद है। डी.आर.एम. परियोजना को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि विकास परियोजना के माध्यम से अतिसंवेदनशीलता पहलकदमी करने के लिए इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। सभी पंचायती राज संस्थाओं को दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा डी.आर.एम. पहलकदमियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ये प्रशिक्षित पंचायती राज संस्थाएं आपदा तत्परता और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और समुदाय की मदद कर रही हैं। आपदा न्यूनीकरण परियोजना में ये प्रशिक्षित पंचायती राज संस्थाएं महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और परियोजना को सतत संपोषित करने के लिए अगुवाई कर रही हैं।

गांव/समुदाय स्तर पर संवेदीकरण सभाः आपदा तत्परता और प्रशमन पहलकदमियों की आवश्यकता के लिए स्थानीय स्व–सरकार, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों की मदद के साथ गांव संवेदीकरण सभाएं आयोजित की जाती हैं। कुछ गांवों में समुदाय एक ही सभा में आपदा प्रबंधन योजना एवं अन्य गतिविधियों के लिए तैयार हो जाते हैं या कुछ स्थानों पर इसे अधिक सभाओं की जरूरत होती है।

समुदाय द्वारा विकास की योजना बनानाः गांव स्तर पर समुदाय तक पहुंचने के लिए आपदा संभाव्य क्षेत्रों को अतिसंवेदनशीलता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले समुदाय–आधारित संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों की पहचान की गई है और उन्हें आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में समुदाय की मदद करने का प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी पदाधिकारियों की मदद के साथ समुदाय के सदस्य अपनी आपदा प्रबंधन योजना बनाते हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और मोहल्ले पर उसके प्रभाव के पिछले इतिहास के आधार पर गांव का अतिसंवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन किया जाता है। इसी प्रकार, ग्रामीण आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों की पहचान करते हैं। इस योजना के तीन घटक हैं यथा तत्परता, प्रतिक्रिया और प्रशमन जिनमें विभिन्न चरणों में सभी गतिविधियों को करने के लिए कार्यदल शामिल है। गांव

आपदा प्रबंधन योजना पूरी हो जाने के बाद पूरे समुदाय को उसके बारे में बताया जाता है और क्रियान्वयन के लिए गांव की सभा में अनुमोदित किया जाता है और फिर वह एक सरकारी दस्तावेज बन जाता है। प्रत्येक वर्ष योजना को जोखिमपूर्ण मौसम से पहले एक साल में दो बार अद्यतन किया जाता है।

vkink ic/ku nyk dk ikFkfed
lgk;rk if'k{k.k

आपदा प्रबंधन दलों का विशेषीकृत प्रशिक्षणः प्रत्येक आपदा प्रबंधन दल में महिला और पुरुष स्वयंसेवकों का एक दल शामिल होगा और उसे चरणों में पूरा करने के लिए एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाएगा। सभी आपदा प्रबंधन दलों के कौशलों यथा खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता, अभिघात परामर्श तथा जल एवं स्वच्छता का उन्नयन करने के लिए उन्हें एक विशेषीकृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी आपदा प्रबंधन दलों के सतत प्रशिक्षण के सभी आपदा प्रबंधन दलों को वर्तमान सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ा गया है। विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन दलों के सतत प्रशिक्षण के लिए कुछ प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

मूक ड्रिलः मूक ड्रिल गांव आपदा प्रबंधन योजना का एक अभिन्न भाग है जो समुदाय को सजग रखने के लिए एक तत्परता ड्रिल होती है। इसको देखते हुए आपदा प्रबंधन दलों को सक्रिय करने के लिए सभी गांवों में मूक ड्रिलों का आयोजन किया जाएगा और व्यावहारिकता के आधार पर आपदा प्रबंधन योजना का संशोधन किया जाएगा। बुनियादी तौर पर यह प्रतिरूपण अभ्यास होता है जो एक आपदायी स्थिति के दौरान समुदाय की सामंजस्यता में सुधार करने में मदद करता है।

lenk; vk/kkfjr vkink rRijrk e efgykvk dh lgHkkfxrk% एक आपातकालीन स्थिति में महिलाएं, बच्चे और वष्द्ध लोग गांव में सबसे अधिक संवेदनशील समूह होते हैं और उन्हें विशेष ध्यान एवं सहायता की आवश्यकता होती है। एक गांव की तत्परता और प्रतिक्रिया योजना बनाते समय वह महिलाओं और बच्चों की अतिसंवेदनशीलता पर आधारित होनी चाहिए। इससे गांव की तत्परता और प्रशमन पहलकदमियों में साझेदारी करने के लिए महिला समूहों को समान अवसर मिलता है। अधिकांश गांव योजनाएं महिलाओं की अतिसंवेदनशीलता पर आधारित हैं। महिलाओं को आश्रय प्रबंधन, खोज एवं बचाव, प्राथमिक सहायता और जल एवं स्वच्छता आपदा प्रबंधन दलों का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। महिला आपदा प्रबंधन दलों का ज्ञान बढ़ाने के लिए ताकि वे आपातकाल में अपनी ड्यूटियाँ निभा सकें, विशेष प्रशिक्षणों

का आयोजन किया जाना है जैसे तैराकी का प्रशिक्षण, प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण। अधिकांश समय वे घर की देखभाल करती हैं और सामान्य समय में इन विशेष कौशलों को इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव स्तर पर अधिकांश महिलाएं खोज एवं बचाव, आश्रय प्रबंधन और प्राथमिक सहायता आपदा प्रबंधन दलों की सदस्य होंगी। आपदा प्रबंधन समिति और आपदा प्रबंधन दलों में 30 प्रतिशत स्थान महिला सहभागिता के लिए आरक्षित है। इस नये रूझान में महिलाओं को अपनी उत्पादन क्षमता, निष्ठा एवं समर्पण दिखाने के लिए अधिक अवसर मिल रहे हैं।

विकास परियोजनाओं को साथ जोड़ना और एक विकेंद्रीकृत विधि को सुदृढ़ बनाना – इन पर किस तरह कार्यवाही की जा रही है?

अतिसंवेदनशीलता न्यूनीकरण गतिविधियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिला स्तर पर विकास समिति द्वारा आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन। सरकार के निर्देश के अनुसार सभी आपदा प्रबंधन योजनाएं गांवों की विकास योजना का अभिन्न हिस्सा हैं।

आपदा प्रबंधन और प्रशमन प्रक्रिया के लिए आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन समिति और आपदा प्रबंधन दल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाते समय क्षेत्र की जरूरत की प्राथमिकता तय करना और प्रशमन गतिविधियों और आपदा प्रबंधन दलों के क्षमता निर्माण के लिए ग्राम पंचायत निधि का उपयोग। सरकार द्वारा वर्तमान निधि आवंटन में विभिन्न स्तरों पर आपदा तत्परता गतिविधियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है।

आपदा तत्परता योजना तैयार करने के लिए ग्रामीणों का दिशानिर्देशन करना और सभी ग्राम योजनाओं के पूरा हो जाने पर उनका संकलन ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रशमन योजनाओं का ब्लाक स्तर पर समेकन किया जाना है जो अंततः ब्लाक प्रशमन योजना बनेगी। अब ग्राम पंचायत विकास परियोजना और आपदा प्रबंधन परियोजना के लिए भी उत्तरदायी हैं, सरकार ने आपदा तत्परता और प्रशमन पहलकदमियों का विकेंद्रीकरण किया है।

ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन दलों और गांव आपदा प्रबंधन दलों के ज्ञान एवं कौशल का उन्नयन करने के लिए वर्तमान सेवा प्रदाताओं का उपयोग करना। जोखिमपूर्ण मौसमों से पहले आपदा प्रबंधन समितियों और आपदा प्रबंधन दलों की सतत प्रशिक्षण परियोजना के लिए प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। प्रशिक्षित स्वयंसेवक, समुदाय आधारित संगठन

और गैर–सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर स्थित हैं और अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं।

ipk;rh jkt lLFkkvk dh Hkfedk & Hkkjr ljdkj&;-,u-Mh-ih- vkink tkf[ke ic/ku ifj;ktuk d vrxr ,d fun'k vo/kkj.kk

भारतीय उपमहाद्वीप प्राकृतिक आपदाओं की उच्च संभाव्यता रखता है। भारत में बाढ़, चक्रवात, अकाल और भूकंप आवर्ती घटनाएं हैं। मानव–निर्मित आपदाओं जैसे आग लगना, महामारी आदि के अक्सर प्रकट होने के कारण आपदाओं प्रति सुप्रभाव्यता और अधिक बढ़ जाती है। भारत सरकार ने दीर्घकालिक न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता के साथ भारत के 17 राज्यों में 169 सर्वाधिक अतिसंवेदनशील जिलों में *vkink tkf[ke ic/ku ifj;ktuk* शुरू की है। इस परियोजना का अनिवार्य लक्ष्य समुदाय, स्थानीय स्व–सरकारों और जिला प्रशानों की प्रतिक्रिया, तत्परता और प्रशमन उपायों का सुदृढ़ीकरण करना है। परियोजना में षामिल विभिन्न साझेदार सरकारी पदाधिकारी, समुदाय; गैर–सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन/आत्मसहायता समूह, समुदाय स्तर पर कोई अन्य समूह और पंचायती राज संस्थाएं हैं।

xko@xke lIn Lrj ij

पंचायती राज संस्थाएं आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना की विभिन्न क्रियान्वयन प्रक्रियाओं में एक मुख्य भूमिका निभाती हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन योजना गांव/वार्ड स्तर से शुरू होती है (उदाहणार्थः पश्चिम बंगाल के मामले में ग्राम संसद), गांव के स्वयंसेवकों के साथ वार्ड के सदस्य बहुआपदा तत्परता, प्रबंधन और प्रशमन की योजना बनाने में और गांप आपदा प्रबंधन समिति (वी.डी.एम.सी.) का गठन करने में समुदाय की मदद करते हैं। आपातकाल के समय विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए एक गांव आपदा प्रबंधन दल (वी.डी.एम.टी.) होगा। वार्ड के सदस्य गांव आपदा प्रबंधन समिति का नेतृत्व कर रहे हैं और आपदापूर्व, दौरान और उपरांत एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वी.डी.एम.सी. का एक भाग होने के नाते वे गांव में होने वाले विकास गतिविधियों में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और इन गतिविधियों को इस प्रकार आपस में जोड़ा जा सकता है कि एक खास जोखिम के प्रति उस क्षेत्र की अतिसंवेदनशीलता कम हो जाए।

xke ipk;r@xke lHkk Lrj ij

ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच/प्रधान, समिति के सदस्य ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन समिति (जी.पी.डी.एम.सी.) का हिस्सा बनते हैं। प्रधान जी.पी.डी.एम.सी. का अध्यक्ष होता है और संयोजक ग्राम पंचायत का नोडल अधिकारी (ब्लाक से एक्सटेंशन अधिकारी) होता है। प्रधान

बहुआपदा ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजना बनाने में और जी.पी.डी.एम.सी. के विभिन्न सदस्यों को भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व सौंपने में नोडल अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव की मदद करेगा। सामान्य समय में प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत योजना बनाने और ग्राम सभा में सभी योजनाओं के अनुमोदन में मदद कर सकते हैं। वे गतिविधियां संपन्न करने और खुद को आपातकाल के लिए तैयार करने के लिए गांव आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों की मदद कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा और बचाव कार्यों, जल एवं स्वच्छता, आश्रय प्रबंधन, क्षति मूल्यांकन आदि के लिए वी.डी.एम.टी. के सदस्यों को नागरिक रक्षा द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा जो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायत स्तरों पर किया जाना है। राहत का समन्वय, बचाव कार्य, आश्रय प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, क्षति मूल्यांकन आदि प्रमुख गतिविधियाँ हैं क्योंकि आपदा का हमला होने पर इन्हें संपन्न करना होता है। अतिसंवेदनशीलता को कम करने के लिए ग्राम पंचायत की आवश्यकता का निवारण नियमित विकास परियोजना में किया जाना चाहिए जैसे कि निचले क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, अनाज बैंक और आपदा प्रबंधन दलों के लिए प्रशिक्षण आदि।

Cykd@ipk;r lfefr Lrj ij%

ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति का अध्यक्ष/सभापति ब्लाक आपदा प्रबंधन समिति (बी.डी.एम.सी.) का गठन करने तथा बहुआपदा तत्परता और प्रशमन योजना बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाएगा। पंचायत समिति का अध्यक्ष/सभापति बी.डी.एम.सी. का अध्यक्ष होगा तथा ब्लाक विकास अधिकारी बी.डी.एम.सी. का संयोजक होगा। वे ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और तत्परता गतिविधियाँ संपन्न करने में मदद करेंगे। आपदापूर्व, दौरान और उपरांत अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में खाद्य सामग्री का भंडारण, राहत का समन्वय, बचाव कार्य, आश्रय प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, क्षति मूल्यांकन आदि ऐसी प्रमुख गतिविधियाँ हो सकती हैं जिन्हें उन्हें संपन्न करना होगा। इसी प्रकार ब्लाक आपदा तत्परता और प्रशमन योजना का अनुमोदन करना और उसे ब्लाक की एक नियमित परियोजना बनाना पंचायत समिति का उत्तरदायित्व है।

fty@ftyk ifj"kn Lrj ij%

जिला परिषद अध्यक्ष/सभाधिपति और जिले के अन्य निर्वाचित सदस्य जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी.डी.एम.सी.) का हिस्सा होंगे। वे जिले की तत्परता परियोजना की प्राथमिक निगरानी एवं समन्वय करेंगे। राहत, बचाव कार्य, आश्रय प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, क्षति मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण में अन्य आपदा प्रबंधन दलों की सहायता करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन दल (डी.डी.एम.टी.) के साथ समन्वय करेंगे और आपदा का हमला होने पर इन गतिविधियों को संपन्न करेंगे। समुदाय के सदस्यों के बीच जागरुकता पैदा करना एक ऐसी भूमिका हो सकती है जिसे निर्वाचित सदस्य निभा सकते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष/सभाधिपति

डी.डी.एम.सी. का अध्यक्ष होगा और कलक्टर एवं जिला मजीस्ट्रेट संयोजक होगा। वे ब्लाकों में तत्परता और प्रशमन गतिविधियाँ संपन्न करने में एक अग्रणी भूमिका ग्रहण कर सकते हैं जिनसे अतिसंवेदनशीलता कम होगी तथा आपदाओं में जान–माल की रक्षा होगी।

vkink tksf[ke izca/ku ifj;kstuk esa iapk;rh jkt laLFkkvksa dh Hkwfedk

- मुख्य सहायक
- आपदा तत्परता और प्रशमन योजना का नियमित उन्नयन
- आपदा प्रबंधन दल (डी.एम.टी.) का क्षमता निर्माण
- आपदा प्रबंधन दलों को संसाधन उपलब्ध कराना – दवाएं, चिकित्सा किट, बचाव उपस्कर, उत्तरजीविता किट
- समुदायों के लिए चेतावनी का प्रसार
- सुरक्षित भंडारण, अतिसंवेदनशील भागों में अस्थायी आश्रय
- आपदा प्रबंधन दलों के साथ भोजन, दवाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और जल की पहले से तैनाती करने में डिपुओं की मदद करना।
- तत्परता परियोजना और आपातकाल की स्थिति में सभी साझेदारों के बीच समन्वय और नेटवर्किंग
- क्षति मूल्यांकन और राहत वितरण में मदद करना
- जागरुकता अभियान

स्थानीय स्व–सरकार आपदा प्रबंधन की अग्रिम पंक्ति में होती है और वह समन्वय प्रक्रिया का एक भाग बन सकती है। पंचायती राज संस्थाओं के साथ समन्वय और सहयोग से आपदा प्रबंधन को सतत विकासात्क परियोजना की मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिलेगी। वे समुदाय विकास में अधिक उपयोगी होती है, इसलिए अतिसंवेदनशीलता न्यूनीकरण परियोजना का प्रबंध करने के लिए उनकी क्षमता को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। वे आपदा प्रबंधन के लिए सुझाए नेटवर्क में एक प्रमुख खिलाड़ी हो सकते हैं और निम्नलिखित मुख्य विषयक क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं:

- संचार (शीघ्र चेतावनी और आपातकालों के दौरान सुरक्षित संचार के लिए)
- समुदाय स्तरों पर जागरुकता पैदा करना और विस्तृत तत्परता योजनाएं
- विकास परियोजनाओं और प्रशमन पूर्वोपायों (संरचनात्मक पूर्वोपाय जैसे तटबंधों, सड़कों, पुलों और नई आवास परियोजनाओं की योजना बनाना) के नियोजन के लिए एक साधन के रूप में अतिसंवेदनशीलता एवं क्षति मूल्यांकन में परिशुद्धता
- जीवन की क्षति की रोकथाम करने के लिए आपदायी स्थिति के दौरान सूचना का आदान–प्रदान और राहत एवं पुनर्वास उपायों का विवेकपूर्ण वितरण साध्य बनाना।

- किसी आपातकाल के मामले में जल्दी फील्ड में जाने के लिए अग्रिम पंक्ति के प्रतिक्रिया प्रबंधकों और संसाधनों का संवर्ग रखना। (जनशक्ति और मशीन)
- आपदारोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी दर्षष्टि से सुदष्ढ एवं उपयुक्त डिज़ाइन विकसित करने के लिए नेटवर्क और उनका व्यापक प्रचार।

इन सभी को संभव बनाने के लिए एक नियमित अंतराल पर बैठकों, कार्यशालाओं, संयुक्त प्रदर्शन दौरों, इलेक्ट्रानिक नेटवर्क, सूचनापत्रों, क्षमता निर्माण अभ्यासों का आयोजन किया जाना चाहिए जहां प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी के लिए कार्यवाही के मुद्दे मौजूद हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस नेटवर्क की नजर इसके उद्‌देश्य ओझल नहीं हो जाएं, अनुवर्तन, निगरानी और पुनरीक्षा एक महत्त्वपूर्ण साधन होगा। विभिन्न नेटवर्कों के बीच सूचना का अवश्य आदान–प्रदान होना चाहिए ताकि आपदा संरक्षित समुदाय के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक को होने वाली प्रगतियों की जानकारी हो। इस प्रक्रिया में यू.एन.डी.पी. और अन्य विकास एजेंसियाँ अतिसंवेदनशीलता के न्यूनीकरण में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाने तथा जरूरतमंद समुदाय को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए मदद करेंगी।

lkr%

1. भारत में आपदा प्रबंधन – एक स्थिति रिपोर्ट, 2004, भारत सरकार, गृह मंत्रालय
2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारत सरकार
3. संकट प्रबंधन निराशा से आशा की ओर, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भारत सरकार 2006
4. सभी राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के सूचक भारत की दसवीं पंचवर्षीय योजना से लिए गए हैं।
5. सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के साथ संबंधों का अनुबंध 1 में अवलोकन किया जा सकता है जिसे यू.एन.डी.पी. की आपदा जोखिम न्यूनीकरण रिपोर्ट 2004 से एक उद्धरण से लिया गया है।
6. सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य भारत राष्ट्र रिपोर्ट 2005
7. स्थानीय स्तर का जोखिम प्रबंधन – भारत का अनुभव, भारत सरकार–यू.एन.डी.पी. आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना 2004
8. "आपदा प्रबंधन" संबंधी कार्यकारी दल, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के सूत्रीकण के भाग के रूप में

वेबसाइटें

http://www.undp.org.in/
http://www.undp.org/bcpr/disred
http://www.un.org/millenniumgoals/MDGs-FACTSHEET1.pdf
http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm
http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/bd-yokohama-strat-eng.htm

For further infomration please contact:
UN Resident Coordinator's Office
55, Lodi Estate, New Delhi -110003
Phone: 011-2462-8877 Fax No: 011-2462-7612
E-mail: unrco@un.org.in

For further information please contact:
UN Resident Coordinator's Office
55, Lodi Estate, New Delhi -110003
Tel.: 91 11 2462 8877, Fax No: 91 11 2462 7612
E-mail: unrco@un.org.in

UNDP India,
55, Lodi Estate, New Delhi - 110003
Tel.: 91 11 2462 8877
Fax No: 91 11 2462 7612
Website: www.undp.org.in